

22वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना
Notice of the 22nd Annual General Meeting

महत्वपूर्ण तिथियाँ
IMPORTANT DATES

22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि एवं समय	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से शुक्रवार, 30 जून, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे
एजीएम की कार्यसूची मदों पर मतदान के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, 23 जून, 2023
लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि	शुक्रवार, 23 जून, 2023
बही बंद करने की तिथियाँ	शनिवार, 24 जून, 2023 से शुक्रवार, 30 जून, 2023 तक (दोनों दिन शामिल)
रिमोट ई-वोटिंग की अवधि	मंगलवार, 27 जून, 2023 (पूर्वाह्न 09.00 बजे) से गुरुवार, 29 जून, 2023 तक (अपराह्न 05.00 बजे)
लाभांश भुगतान तिथि	शुक्रवार, 14 जुलाई, 2023

Date and time of 22 nd Annual General Meeting (AGM)	Friday, 30 th June, 2023 at 11.00 a.m. through VC/OAVM
Cut-off date for determining the shareholders eligible to vote on the Agenda Items of the AGM	Friday, 23 rd June, 2023
Record Date for Dividend	Friday, 23 rd June, 2023
Book Closure Dates	From Saturday, 24 th June, 2023 to Friday, 30 th June, 2023 (both days inclusive)
Period of Remote E-Voting	From Tuesday, 27 th June, 2023 (09.00 a.m.) to Thursday, 29 th June, 2023 (05.00 p.m.)
Dividend Payment Date	Friday, 14 th July, 2023



प्रधान कार्यालय : प्लॉट नं. 4, सैक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075
(ई-मेल आईडी: hosd@pnb.co.in)

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110075
(E-mail id: hosd@pnb.co.in)

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक आम बैठक 30 जून, 2023, शुक्रवार को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-

साधारण कार्य

मद सं. 1: 31 मार्च, 2023 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तथा, तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा विचार विमर्श, अनुमोदित एवं स्वीकार किया गया।"

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के प्रत्येक ₹ 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर पर ₹ 0.65 की दर से प्रति शेयर लाभांश घोषित किया गया है।"

विशेष कार्य

मद सं. 3: एकमुश्त प्रतिभूति लेन-देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/ खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी निर्गमन में सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवाओं और ऐसे अन्य लेनदेन जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की खरीद/बिक्री, पीएसयू के बॉन्ड/ डिबेंचर, अन्य निकाय के लिए संबंधी पार्टियों के मत्वपूर्ण लेनदेन और पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड (समनुषंगी), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सहायक) के साथ प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 22nd Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on Friday, the 30th June, 2023 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2023, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2023, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2023, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2023, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts be and are hereby approved and adopted."

Item No. 2: To declare dividend on the equity shares of the Bank for the financial year 2022-23

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT Dividend at the rate of ₹0.65 per equity share of the face value of ₹2/- each of the Bank for the financial year ended 31st March, 2023, be and is hereby declared."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 3: To consider and approve the Material Related Party Transactions for outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/Debentures of PSUs, other bodies, as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts Limited (Subsidiary)



वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किये जा सकने वाले, ऐसे अन्य लेनदेन पर भी विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीबद्धता विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की संबंधित पक्ष की लेनदेन पर नीति” के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 2(1) (जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी एनसीडी निर्गमन में ईबीपी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवाएं और ऐसे अन्य लेनदेन भी जैसे पीएसयू, अन्य निकाय की सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), बॉन्ड/डिबेंचर की खरीद/बिक्री और जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किये जा सकते हैं, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि सूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौते या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए गए हो या लेनदेन की एक श्रृंखला हो या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वाक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”


PNB Housing Finance Limited (Associate), PNB Metlife India Insurance Company Limited (Associate).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for Outright Securities Transactions (Sale/Purchase of securities), Money Market Transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger Services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/Debentures of PSUs, other bodies, as may be disclosed in the Notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year, with PNB Gilts Limited, PNB Housing Finance Limited (PNBHFL) and PNB Metlife India Insurance Company Limited, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2023-24, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”



मद सं. 4: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीबद्धता विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पक्ष की लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) बैंक की संबंधित पार्टियों, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के साथ ₹ 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, मीयादी ऋण, ऋण सहायता, ओवरड्राफ्ट इत्यादि स्वीकृत करने हेतु अनुबंध या समझौते या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए गए हों या लेनदेन की एक श्रृंखला हो या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

मद संख्या 5: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगियों) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

Item No. 4: To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Limited (Subsidiary) and PNB Housing Finance Limited (Associate).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) of granting of Loans and Advances such as Term Loans, Line of Credit, Overdraft, etc., to PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited (PNBHFL), Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2023-24, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

Item No. 5: To consider and approve the Material Related Party Transactions for IBPC Transactions with Regional Rural Banks (Associates)



निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीबद्धता विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पक्ष’ की लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) बैंक की संबंधित पार्टियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् असम ग्रामीण विकास बैंक, बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और सर्व हरियाण 11 ग्रामीण बैंक, के साथ ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि सूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, आईबीपीसी लेनदेन हेतु अनुबंध या समझौते या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए गए हो या लेनदेन की एक श्रृंखला हो या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

मद संख्या 6: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (समनुषंगी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक) के साथ चालू खातों में संबंधित पार्टियों के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।


To consider and if thought fit, pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for undertaking IBPC transactions with Regional Rural Banks viz. Assam Gramin Vikash Bank, Bangiya Gramin Vikash Bank, Himachal Pradesh Gramin Bank, Manipur Rural Bank, Punjab Gramin Bank, Prathama UP Gramin Bank, Tripura Gramin Bank, Dakshin Bihar Gramin Bank and Sarva Haryana Gramin Bank, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2023-24, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

Item No. 6: To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Current Accounts of PNB Gilts Limited (Subsidiary) and PNB Housing Finance Limited (Associate).



निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीकरण विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) बैंक की संबंधित पार्टियों पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के साथ, बैंक द्वारा चालू खाता जमा, चाहे नए जमा(ओं) या किसी वृद्धि (ओं) के माध्यम से या पहले के अनुबंधों/समझौतों/लेनदेनों में संशोधन या अन्यथा के रूप में हों, की स्वीकृति हेतु, इसके बावजूद की किसी भी दिन उच्चतम बकाया राशि ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक हो सकती है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौतों या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हो या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

मद संख्या 7: ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for acceptance of current account deposits by the Bank whether by way of fresh deposit(s) or any extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/transactions or otherwise, from PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, notwithstanding the fact that the highest outstanding balance on any day, may exceed the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2023-24, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

Item No. 7: To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Nostro Account with Druk PNB Bank Limited (International Subsidiary) & Everest Bank Limited (International Joint Venture).



निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीबद्धता विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की संबंधित पक्ष की लेनदेन पर नीति” के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिसे शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में लेनदेन, चाहे नए लेनदेन के माध्यम से या किसी भी विस्तार या पिछले अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन के संशोधन या अन्यथा के रूप में हो, इसके बावजूद की किसी भी दिन उच्चतम बकाया राशि ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक हो सकती है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौतों या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हो या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

मद संख्या 8: बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) in the Nostro accounts whether by way of fresh transaction or any extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/ transactions or otherwise, with Druk PNB Bank Limited and Everest Bank Limited, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, notwithstanding the fact that the highest outstanding balance on any day, may exceed the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2023-24, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

Item No. 8: To consider and approve the appointment of Shri Atul Kumar Goel as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank



निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के पहले परंतुक यथासंशोधित, के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. eF-No-4/1/2021&BO-I दिनांक 28 दिसंबर, 2021 के माध्यम से बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति को 01 फरवरी, 2022 से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि तक (अर्थात्, 31.12.2024), या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

मद संख्या 9: बैंक के बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री अनिल कुमार मिश्रा की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (सी) और राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 3 के उप-अनुच्छेद (1) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के पहले परंतुक यथासंशोधित, के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं. 6/3/2011-बीओ. दिनांक 25 फरवरी, 2022 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर नामित निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 25 फरवरी, 2022 से और अगले आदेशों तक, श्री अनिल कुमार मिश्रा की नियुक्ति को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

मद संख्या 10: बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री पंकज शर्मा की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना

विचार हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित को पारित किया जाता है:

संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथा संशोधित, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) के साथ पठित, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री पंकज शर्मा की नियुक्ति वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं.6/2/2022-बीओ. आई दिनांक 11 अप्रैल, 2022 को तत्काल प्रभाव से 11 अप्रैल, 2022 से तथा अगले आदेश तक के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित की जाती है।

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Atul Kumar Goel vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.4/1/2021-BO.I dated 28th December, 2021 as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank with effect from 01st February, 2022 and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 31.12.2024), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Item No. 9: To consider and approve the appointment of Shri Anil Kumar Misra as Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the Board of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Shri Anil Kumar Misra vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.6/3/2011-BO.I dated 25th February, 2022 as the Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the Board of the Bank with effect from 25th February, 2022 and until further orders, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Item No. 10: To consider and approve the appointment of Shri Pankaj Sharma as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (b) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Pankaj Sharma vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.6/2/2022-BO.I dated 11th April, 2022 as the Government of India Nominee Director on the Board of the Bank with effect from 11th April, 2022 and until further orders, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

मद संख्या 11: बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री विनोद कुमार की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।

विचार हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित को पारित किया जाता है:

संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथा संशोधित, बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं. 4/6/2021-BO.I दिनांक 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से श्री विनोद कुमार की नियुक्ति बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 21 नवंबर, 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित की जाती है।

मद सं.12: बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. परमशिवम की नियुक्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना

विचार हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित को पारित किया जाता है:

संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथा संशोधित, बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, वित्तीय सेवाएं विभा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं.4/6/2021-बीओ.आई दिनांक 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से 01 दिसम्बर 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए श्री एम. परमशिवम की नियुक्ति बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित की जाती है।

मद संख्या 13: बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं गैर-कार्यपालक अध्यक्ष (स्वतंत्र) के रूप में श्री के.जी. अनंतकृष्णन की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना

विचार हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित को पारित किया जाता है:

संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25(2A)(तथा विनियम 17 (1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथा संशोधित, बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के साथ पठित एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैराग्राफ 5(1) एवं 9(2)(बी) के अनुसार, श्री के. जी. अनंतकृष्णन की नियुक्ति वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 6/9/2022-80. आई दिनांक 7 नवंबर, 2022 को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

Item No. 11: To consider and approve the appointment of Shri Binod Kumar as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Binod Kumar vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.4/6/2021-BO.I dated 21st November, 2022 as the Executive Director of the Bank for a period of three years with effect from 21st November, 2022, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Item No. 12: To consider and approve the appointment of Shri M. Paramasivam as Executive Director of the Bank


To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri M. Paramasivam vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.4/6/2021-BO.I dated 21st November, 2022 as the Executive Director of the Bank for a period of three years with effect from 01st December 2022, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Item No. 13: To consider and approve the appointment of Shri K. G. Ananthakrishnan as Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman (Independent) on the Board of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 25(2A) and the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Shri K.G. Ananthakrishnan vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification eF.No. 6/9/2022-BO.I dated 7th November, 2022 as Part-Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of the Bank for a term of three years, with effect from 7th



के रूप में बैंक के बोर्ड में तीन साल की अवधि के लिए, अधिसूचना की तिथि से अर्थात् 7 नवंबर, 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित की जाती है।

मद संख्या 14 : कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करने की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करना

बोर्ड/समिति द्वारा तय किए गए नियमों एवं शर्तों पर, एक या अधिक खेपों में, ऐसी कीमत या कीमतों पर एवं लाभांश के भुगतान सहित सभी उद्देश्यों के लिए एवं सभी प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सममात्रा प्रभार रैंकिंग पर कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के अंतर्गत ₹ 2/- (केवल दो रुपये) के अंकित मूल्य के 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों की पेशकश, जारी करना एवं आवंटित करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाता है:

"संकल्प किया जाता है बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") एवं पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2000 ("पीएनबी विनियम"), समय-समय पर यथा 'संशोधित के प्रावधानों के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), सरकार के अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं प्रतिबंधों के अधीन, यदि कोई हो, भारत ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी"), स्टॉक एक्सचेंज (एस) जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जहां भी लागू हो एवं/या कोई अन्य प्राधिकरण जो इस संबंध में आवश्यक हो एवं इस तरह के नियम, शर्तें एवं संशोधन के अधीन हो, जैसा कि उनके द्वारा इस तरह के अनुमोदन देने में निर्धारित किया जा सकता है एवं जिसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी जा सकती है एवं सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियमों 2021, यथासंशोधित अद्यतन "सेबी (एसबीईबी एवं एसई) विनियम", एवं दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के प्रावधान के अधीन, आरबीआई, सेबी एवं अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत अधिसूचनाएं/परिपत्र एवं स्पष्टीकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, एवं समय-समय पर अन्य सभी लागू कानून एवं सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियम, के प्रावधानों के अधीन जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है, बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) जैसे स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा किया गया लिस्टिंग समझौता एवं किसी भी प्राधिकरण के किसी भी स्तर पर, किसी भी लागू अनुमोदन (अनुमोदनों), अनुमति(यों) और स्वीकृति(यों) के अधीन और किसी भी शर्त और संशोधन(नों) के अधीन, जैसा कि ऐसे अधिकारियों द्वारा निर्धारित या लगाया जा सकता है इस तरह के अनुमोदन (अनुमोदन), अनुमति(यों) और स्वीकृति(यों) को देना और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति और स्वीकृति दी जा सकती है, बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल ("बोर्ड" जिसमें एक समिति शामिल मानी जाएगी) को दी जाएगी एवं


November, 2022, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Item No. 14: To consider and approve Issue of equity shares to Employees through Employee Stock Purchase Scheme (ESPS)

To offer, issue and allot up to 15,00,00,000 (Fifteen Crore) new equity shares of face value of ₹2/- (Rupees Two only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following Resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 ("PNB Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange (s) wherein Bank's equity shares are listed, and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto, as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021, as amended up to date ["SEBI (SBEB & SE) Regulations"], and guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") as amended upto date, Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the approval of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank ("the Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise



जिसे बोर्ड इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित या/गठित कर सकता है) बोर्ड/समिति द्वारा तय किए गए नियमों एवं शर्तों पर, एक या अधिक खेपों में, ऐसी कीमत या कीमतों पर एवं लाभांश के भुगतान सहित सभी उद्देश्यों के लिए एवं सभी प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सममात्रा प्रभार रैंकिंग पर कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के अंतर्गत ₹ 2/- (केवल दो रुपये) के अंकित मूल्य के 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों की पेशकश, जारी करना एवं आवंटित करना, जैसा कि बोर्ड/समिति द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जा सकता है, जब तक कि भारत सरकार की होल्डिंग 52.00% से नीचे नहीं आती है।

“आगे संकल्प किया जाता है कि बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 15 या किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधन), संशोधन(नों) या उसके पुनः अधिनियमन में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगा।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के साथ किए गए लिस्टिंग समझौतों के नियमों और शर्तों के अनुसार बोर्ड को “पीएनबी-ईएसपीएस” के अंतर्गत जारी किए गए एवं आवंटित किए गए इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड को एवं एतद्वारा ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों एवं चीजों को करने के लिए जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे एवं किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह को निपटाने के लिए जो इक्विटी शेयरों के मुद्दे के संबंध में उत्पन्न हो सकता है, के लिए अधिकृत किया जाता है एवं इस तरह के सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को करने के लिए, सभी दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रूप देना और निष्पादित करना, जैसा कि आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो सकता है, जैसा कि यह अपने पूर्ण विवेकानुसार सही, उचित या वांछनीय समझे बिना किसी और सहमति की आवश्यकता के बिना हो सकता है या शेयरधारकों की स्वीकृति या समाप्ति के लिए अधिकृत हो एवं यह इरादा रखते हैं कि शेयरधारकों को इस संकल्प के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया गया माना जाएगा।

“आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा “पीएनबी-ईएसपीएस” को लागू करने, तैयार करने, विकसित करने, तय करने एवं बोर्ड द्वारा तय किए गए नियमों एवं शर्तों पर लागू करने एवं कोई संशोधन करने के लिए अधिकृत है तथा पीएनबी-ईएसपीएस” के नियमों एवं शर्तों में समय-समय पर परिवर्तन, बदलाव, बदलाव या संशोधन, संशोधन सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं “पीएनबी-ईएसपीएस” की कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड या निलंबित, वापस लेना, समाप्त या संशोधित करना, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार से निर्धारित कर सकता है एवं इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों को भी निपटाने के लिए “पीएनबी-ईएसपीएस” के कार्यान्वयन एवं प्रस्तावित “पीएनबी-ईएसपीएस” के अनुसरण में जारी किए जाने वाले शेयरों के लिए शेयरधारकों की किसी एवं सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या अन्यथा अंत तक एवं ऐसा इरादा रखते हैं कि शेयरधारक होंगे

its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees as may be decided by the Board/Committee, aggregating up to 15,00,00,000 (Fifteen Crore) equity shares of face value of ₹2/- (Rupees Two only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "PNB-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board/Committee thereof in its absolute discretion in such a way that Government of India share holding does not come below 52.00%.

“RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "PNB-ESPS", on the Stock Exchanges wherein the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the listing agreements entered into with the Stock Exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "PNB-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification (s), change (s), variation (s), alteration (s) or revision (s) in the terms and conditions of the "PNB-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "PNB-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "PNB-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "PNB-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the



माना जाता है कि इस संकल्प के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से वहां अपना अनुमोदन दिया गया है।

“आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड बैंक के निदेशकों की सभिति, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक या मुख्य वित्तीय अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को इसके द्वारा प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत है जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में पूर्वोक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए बैंक के रूप में यह उपयुक्त हो सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03.06.2023

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and other applicable laws, rules and regulations."

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 03.06.2023

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

टिप्पणियाँ :

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा वार्षिक आम बैठक

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक: 28 दिसंबर 2022 के द्वारा कंपनियों को 30 सितंबर, 2023 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 को सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित 30 सितंबर, 2023 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठक आयोजित करने के संबंध में सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए छूट भी बढ़ा दी है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है जिसके लिए साझा स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2000 के विनियम 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। 22 वीं एजीएम के लिए मान्य स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

शेयरधारक इस नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, जो शेयरधारकों के लिए 30 जून, 2023 को सुबह 10:30 बजे से

NOTES:

- Annual General Meeting through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 has permitted the companies to hold their AGM through VC/OAVM till 30th September, 2023. Further, SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, has also extended the relaxations to the listed entities in respect of holding General Meetings through VC/OAVM till 30th September, 2023.

In accordance with the aforesaid Guidelines and the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the 22nd AGM shall be the Head Office of the Bank.

The facility for participation in the AGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the AGM, will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

Shareholders may join the AGM through VC/OAVM facility, by following the procedure as mentioned in this Notice, which shall be kept open for the shareholders on

अर्थात् एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक खुला रहेगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए निर्धारित समय के 30 मिनट बाद बैंक/एनएसडीएल विंडो को बंद कर सकता है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा, 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर कम से कम 1,000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की 2% या इस से अधिक शेयर पूंजी रखने वाले शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि एजीएम में भाग ले सकते हैं।

2. इस नोटिस में निर्धारित मद संख्या 3 से 14 के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाले प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक, स्वयं के स्थान पर भाग लेने एवं मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है एवं ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार, चूंकि शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी एवं इसलिए, प्रॉक्सी एवं उपस्थिति पर्ची की नियुक्ति का साधन नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और/या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 23 जून 2023 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले, शेयर विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, पूर्वी विंग, दुसरा तल, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 में जमा किया गया या संवीक्षक को ई-मेल द्वारा sachinag1981@gmail.com पर भेजा गया है evoting@nsdl.co.in एवं एक प्रति के साथ hosd@pnb.co.in पर भेजी जाए।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. शेयरधारकों के रजिस्टर को बंद करना

लाभांश की पात्रता के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से एवं बैंक की 22 वीं वार्षिक आम बैठक को ध्यान में रखते हुए, बैंक के शेयरधारकों का शनिवार, 24 जून, 2023 से शुक्रवार, 30 जून, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

30th June, 2023 from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the AGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled start time.

Shareholders may please note that the VC/OAVM facility, provided by NSDL, allows participation of most 1,000 shareholders on a 'first-come, first-serve' basis. The shareholders holding 2% or more of most the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. can attend the AGM without any restriction on account of 'first-come, first-serve' basis.

2. The relevant Explanatory Statements setting out material facts in respect of Item Nos. 3 to 14 as set out in this Notice is annexed hereto.

3. Appointment of Proxy

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. Pursuant to the aforesaid MCA & SEBI Circulars, as the physical attendance of the Shareholders has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for the AGM and therefore, the instrument for appointing proxy and attendance slip are not being attached to the Notice.

4. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, shall have been deposited to the Share Department, Punjab National Bank, West Wing, Second Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or is sent to the Scrutinizer by e-mail to sachinag1981@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Friday, the 23rd June, 2023.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

5. Closure of Register of Shareholders

The Register of Shareholders of the Bank will remain closed from Saturday, 24th June, 2023 till Friday, 30th June, 2023 (both days inclusive) for the purpose of determining the eligibility of the shareholders for entitlement of Dividend and in view of the 22nd Annual General Meeting of the Bank.



6. लाभांश का भुगतान:

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 2/- प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.65 के लाभांश की संस्तुति की है।

लाभांश का भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम होंगे हैं:

- ए) लाभार्थी स्वामी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/सीडीएसएल के रिकॉर्ड के अनुसार शुक्रवार, 23 जून, 2023 को कारोबार के समय की समाप्ति पर एवं/या
- बी) शुक्रवार, 23 जून, 2023 को शेयरधारकों के रजिस्टर में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त वैध संचरण अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद।

लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 23 जून, 2023 होगी।

लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपडेट नहीं किया है उन्हें लाभांश वारंट/ डिमांड ड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) के माध्यम से भेजे जाएंगे। बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, लाभांश के भुगतान की तारीख से पहले, शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।

लाभांश भुगतान की तिथि शुक्रवार, 14 जुलाई, 2023 होगी।

इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/अपडेट करें:

- अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ जिनके साथ वे अपने डीमैट अकाउंट हैं, यदि शेयर डिमैटेरियालाइज्ड मोड में हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स द्वारा आवश्यक प्रपत्र और दस्तावेज जमा करके और
- पप) विधिवत भरे हुए केवाईसी फॉर्म –ISR-1, ISR-2, ISR-3/SH-13 को पैनकार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, फोटो आईडी एड्रेस प्रूफ, रह चेक लीफ, यदि शेयर के साथ भेजकर बैंक / बैंक के एसटीए के साथ भौतिक मोड में आयोजित किया जाता है

स्रोत पर कटौती योग्य कर:

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करते समय निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी, जहां भी लागू हो। विवरण के लिए, शेयरधारक इस नोटिस के साथ संलग्न अनुबंध को देख सकते हैं।

6. Payment of Dividend:

The Board of Directors has recommended dividend of ₹0.65 per equity share of ₹2/- each for the financial year ended 31st March, 2023.

The payment of dividend, if declared by the shareholders in the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

- as Beneficial Owners as at the close of business hours on Friday, 23rd June, 2023 as per the record of NSDL/CDSL in respect of the shares held in electronic form and / or
- in the Register of shareholders as on Friday, 23rd June, 2023 after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form.

The Record Date for payment of Dividend will be Friday, 23rd June, 2023.

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their bank account details. Dividend Warrants/Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., before the date of payment of dividend, to the registered address of the shareholders who have not updated their bank account details, in accordance with regulatory guidelines.


The dividend payment date will be Friday, 14th July, 2023.

Shareholders are therefore requested to register/update their complete bank details:

- with their Depository Participant(s) with which they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s); and
- with the Bank/Bank's STA by sending duly filled KYC form - ISR-1, ISR-2, ISR-3/SH-13 along with self-attested copy of pancard, photo id address proof, cancelled cheque leaf, if shares are held in physical mode.

Tax Deductible at Source:

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates, wherever applicable, at the time of making the payment of dividend to the shareholders. For details, shareholders may refer to the Annexure appended to this Notice.



7. मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथासंशोधित) की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। उसके पास बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10% से अधिक के शेयर हैं। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के संशोधित नियम 20 के अनुसार, बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के हकदार शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

8. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

I- सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों, यथासंशोधित, के अनुसार एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, बैंक अपने शेयरधारकों को एजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने की सुविधा दे रहा है और यह सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि शुक्रवार 23 जून, 2023 है।

II- वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं दिया है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

III- जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

IV- रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

ए. रिमोट ई वोटिंग की अवधि मंगलवार, 27 जून, 2023 को (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और गुरुवार, 29 जून 2023 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान कट ऑफ तिथि 23 जून 2023 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वे भौतिक रूप में शेयरधारण करते हों या अमूर्त रूप में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं।

बी. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीके का विवरण नीचे दिया गया है:

7. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

8. Voting through Electronic Means

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is Friday, 23rd June, 2023.

II. Those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolution(s) through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The instructions for remote e-voting are as under:

a. The remote e-voting period begins on Tuesday, 27th June 2023 (9:00 a.m.) and ends on Thursday, 29th June, 2023 (5:00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, 23rd June, 2023 may cast their vote electronically.

b. The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:



सी. एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में प्रवेश

ए) ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि एवं डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों की वर्चुअल बैठक में शामिल होना।

सेबी सर्कुलर संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार 'सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा' पर, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को वोट देने की अनुमति है उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट के माध्यम से। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अपडेट करें।

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are as follows:


Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining the virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.





In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on 'e-Voting facility provided by Listed Companies', Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat accounts/website of Depositories/Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile numbers and email Ids in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	<p>1. यदि आप एनएसडीएल IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL https://eservices.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज शुरू होने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAS' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, इसमें आपको अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें एवं आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर क्लिक करें एवं बैठक के दौरान आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा।</p> <p>2. यदि आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "IDEAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg-रेच पर क्लिक करें</p>

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	<p>1. If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on the option available against the name of the Bank or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com/. Select "Register Online for IDeAS" Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p>



शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें, जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास मौजूद आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी एवं एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर क्लिक करें एवं आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वचुअल मीटिंग में शामिल होने एवं मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।</p> <p>4. शेयरधारक नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके सहज मतदान अनुभव के लिए एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <p>NSDL Mobile App is available on</p> <p> App Store  Google Play</p> <p> </p>
डीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे CDSL वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और New System Myeasi Tab पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा उल मेंप उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें।</p>

Type of shareholders	Login Method
	<p>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on option available against the name of the Bank or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>4. Shareholders can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility for seamless voting experience by scanning the QR code mentioned below.</p> <p>NSDL Mobile App is available on</p> <p> App Store  Google Play</p> <p> </p>
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	<p>1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi/Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user you existing my easi username & password.</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>2. सफल लॉगिन के बाद ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देखने में सक्षम होंगे जहां बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वोटिंग जारी है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।</p> <p>3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प CDSL वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम डलमेंट टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p> <p>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में दिए गए लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी अर्थात् एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।</p>
व्यक्तिगत शेयरधारक (प्रतिभूतियों को डीमैट मोड में रखना) अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-सुविधा देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता-एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनःप्रेषित कर दिया जाएगा।

Type of shareholders	Login Method
	<p>2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by Bank. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</p> <p>3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.</p> <p>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system.</p>
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on Bank's name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

आवश्यक नोट: जो शेयरधारक उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट उपयोगकर्ता आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं।

बी) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने के चरण

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप करके वेब ब्राउजर खोले।
2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल सेवाओं अर्थात् आइडियाज के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनएसडीएल की ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

Steps to Log-in to NSDL e-Voting website

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.



4. आपके यूजर आईडी का विवरण निम्नानुसार है:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है:
ए) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरेक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12***** होगा।
बी) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी बेनिफिशरी आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी 12***** होगा।
सी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	इवन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:

ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

बी) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा, जो आपको भेजा गया था। एक बार जब आप अपना 'इनिशियल पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

सी) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के पास पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से भेजे गए ईमेल को ढूँढें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए पीडीएफ फाइल को खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है के अंतर्गत दिए गए चरणों का पालन करें।

4. Your User ID details are as follows:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID. For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***.

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:


a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.



6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं किया है या भूल चुके हैं:
 - ए) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'Forgot User Details@Password\' पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)।
 - बी) "Physical User Reset Password?" विकल्प (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण करते हैं) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
 - सी) यदि आप अभी भी उक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।
 - डी) शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर 'Terms and Conditions' पर Agree पर टिक करें।
8. अब, आपको, लॉगिन 'बटन' पर क्लिक करना होगा।
9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद, e-Voting का होम पेज खुल जाएगा।

स्टेप 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भाग लेने और अपने वोट डालने का विवरण निम्नानुसार है:

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र (वोटिंग साइकल) और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. रिमोट ई-वोटिंग के दौरान तथा अपना वोट डालने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के 'EVEN' का चयन करें। वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए आपको "आम बैठक में भाग लें" के अंतर्गत दिए गए लिंक "वीसी/ओएवीएम" पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल गया है।
4. उचित विकल्प का चयन करके आप अपना वोट डाल सकते हैं, अर्थात्, सहमति या असहमति, सत्यापित/ संशोधित उन शेयरों की संख्या, जिसके लिए आप वोट डालना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक कर दें एवं अपने वोट को "कॉफर्म" भी करें।
5. पुष्टि करने के बाद, "सफलतापूर्वक वोट डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प को क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटाउट भी ले सकते हैं।


एक बार संकल्प पर अपना वोट डालने की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com
 - b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) - Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join the AGM on NSDL e-Voting system

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in 'active' status.
2. Select "EVEN" of Punjab National bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining the AGM virtually, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/ modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.



शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, स्क्रीटिनाइजर को ई-मेल द्वारा sachinag1981@gmail.com पर evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड रिजोल्यूशन/अथोरिटी लेटर" पर क्लिक करके अपने बोर्ड रिजोल्यूशन/अथोरिटी लेटर आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।
2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" या "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा।
3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को और www.evoting-nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को संदर्भित कर सकते हैं या नंबर: 022-48867000 दक 022-24997000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे वरिष्ठ प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ऐसे शेयरधारक जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है, तो कृपया फोलियो नं., शेयरधारक के नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट को beetalrta@gmail.com ई-मेल पर भेजें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी, सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट को beetalrta@gmail.com ई-मेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में रखे प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे चरण 1 (ए) अर्थात "डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि" में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to sachinag1981@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution/Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022-48867000 and 022-24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this Notice:

1. In case shares are held in physical mode, please provide folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by email to the Bank's STA at beetalrta@gmail.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit Beneficiary ID), name, client master or copy of consolidated account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card) to the Bank's STA at beetalrta@gmail.com. If you are an Individual shareholder, holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at Step 1 (A) i.e. "Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode".



- वैकल्पिक रूप से शेयरधारक उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in को अनुरोध कर सकते हैं।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:-

- एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे रिमोट ई-वोटिंग हेतु उपर्युक्त उल्लेख किए गए निर्देश हैं।
- केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाले एवं ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वो एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
- रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
- एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए यथा उल्लिखित अनुसार ही होगा।

शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

- शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। शेयरधारक "एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के एक्सेस" हेतु उपरोक्तानुसार चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि "ज्वाइन जनरल मीटिंग" मेन्यू में दिए गए लिंक वीसी/ओएवीएम पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, आप बैंक के नाम के सामने "आम बैठक में शामिल हों" मेन्यू के अंतर्गत रखे गए "वीसी / ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन जनरल मीटिंग मेन्यू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय पर भाग दौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
एजीएम से पूर्व या इसके दौरान, तकनीक के प्रयोग के लिए सहायता प्राप्त करने के इच्छुक शेयरधारक द्वारा संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का हेल्पलाइन विवरण वही होगा जो कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए दिया गया है।
- बेहतर अनुभव हेतु शेयरधारक लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों के पास मीटिंग के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने हेतु एक अच्छी गति के साथ

- Alternatively, shareholders may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing the above mentioned documents.

Instructions for shareholders for E-Voting on the day of AGM are as under:


- The procedure for e-Voting on the day of the AGM is the same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- Only those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution(s) through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
- Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM, however, they will not be eligible to vote at the AGM.
- Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.
- The details of the persons who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the AGM shall be the same as mentioned for remote e-voting.

Instructions for shareholders for attending the AGM through VC/OAVM are as under:

- Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join Meeting" menu against the name of the Bank. You are requested to click on VC/OAVM link placed under 'Join Meeting' menu. The link for VC/OAVM will be available in 'Shareholder/Member login' where the EVEN of Bank will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush.

The Helpline details of the persons who may be contacted by the Shareholder needing assistance with the use of technology, before or during the AGM shall be the same as mentioned for remote e-Voting.

- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience. Further, shareholders should have internet with a good speed to avoid any



इंटरनेट होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट करने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त रुकावट को कम करने हेतु स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की संस्तुति की जाती है।

3. शेयरधारक, जो एजीएम के दौरान एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से अपना अनुरोध बैंक की ईमेल आईडी hosd@pnb.co.in पर 23 जून, 2023 को अपराह्न 05.00 बजे या उससे पहले भेजकर स्वयं को 'स्पीकर' के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। केवल उन्हीं शेयरधारकों को, जिन्होंने खुद को 'स्पीकर' के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।
4. शेयरधारक एजीएम में अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, बैंक की ईमेल आईडी hosd@pnb.co पर व्यापार के संबंध में 23 जून, 2022 को पूर्वाह्न 5.00 बजे या उससे पहले प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से प्रश्न/प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बाद में बैंक द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।
5. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों।

9. संवीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस एसोसिएट्स कंपनी सचिव, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष को दिए गए कुल मतों पर एक समेकित संवीक्षककर्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके पश्चात बैंक स्टॉक एक्सचेंज, एनएसडीएल और बैंक की वेबसाइट पर समेकित संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत करते हुए तुरंत मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

10. अदावाकृत लाभांश

शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई लाभांश राशि इसकी देय तिथि से 7 वर्षों तक अवैतनिक/अदावी है तो उक्त अदत्त/अदावाकृत राशि को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष' (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक लाभांश खाते हेतु अंतरिम लाभांश में अदत्त/अदावाकृत राशि को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है।

disturbance during the meeting. Please note that the participants connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

3. Shareholders, who would like to express their views/ask questions during the AGM with regard to the business to be transacted at the AGM, need to register themselves as a 'Speaker' by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in on or before 05.00 p.m. of 23rd June, 2023. Only those shareholders who have registered themselves as a 'Speaker', will be allowed to express their views/ ask questions during the meeting.
4. Shareholders can submit questions with regard to the business to be transacted at the AGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in in advance on or before 05.00 p.m. of 23rd June, 2023. Shareholders who will participate in the AGM through VC/OAVM can also pose question/feedback through question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the meeting or suitably replied to by the Bank, later.
5. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the AGM through VC/OAVM Facility.


9. Scrutinizer

M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the AGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges, NSDL and the Bank.

10. Unclaimed Dividend

Shareholders are hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to the 'Investor Education & Protection Fund' (IEPF), pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The unpaid/unclaimed amount in Dividend Account upto FY 2014-15 has already been transferred to IEPF.



वित्त वर्ष 2015-16 (पीएनबी और ई-ओबीसी द्वारा घोषित) के लिए भुगतान / दावा न किए गए लाभांश को आईईपीएफ में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश प्राप्त नहीं किया है / दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे 27.07.2023 तक राशि का दावा करने के लिए अपना नवीनतम पता, मोबाइल/ टेलीफोन नंबर फोलियो नंबर/डीपी-आईडी एवं क्लाइंट आईडी और बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी आदि दें। यदि दावा नहीं किया गया है, तो यथा लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित कर दिया जाएगा।

बैंक के पास पड़े अदत्त/ अदावाकृत लाभांश की वर्षवार सूची बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर अपलोड की गई है।

11. अन्य जानकारी

- ए) सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 के साथ पठित सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD&2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 के अनुसार, बैंक की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना वाली वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग की प्रक्रिया और विधि आदि का संकेत केवल उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रहे हैं, जिनकी ईमेल आईडी बैंक के एसटीए/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओ) के साथ पंजीकृत हैं।
- बी) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एजीएम की सूचना शामिल है, को बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट क्रमशः www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।
- सी) बैंक द्वारा की गई 'हरित पहल' को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमैट रूप में धारित शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ और भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करवाएं।
- डी) सेबी के परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD&PoD&1/P/ CIR/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुसार 'आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड, केवाईसी विवरण और नामांकन', भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 30 सितंबर, 2023 तक बैंक के एसटीए के साथ अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए/ पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें। 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद उपरोक्त दस्तावेजों/विवरणों में से कोई भी फोलियो उपलब्ध नहीं होने पर आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

The unpaid/unclaimed dividend for FY 2015-16 (declared by erstwhile Oriental Bank of Commerce) is due to be transferred to IEPF. The shareholders who have not received/claimed the dividend(s) for the year 2015-16 are requested to claim the same latest by 27.07.2023, by giving their latest address, Mobile/Telephone No. Folio No./ DP-ID & Client ID and Bank details viz. Bank name, Branch address, Bank account number and IFSC etc. for claiming the amount. If not claimed, the unpaid dividend will be transferred to IEPF in accordance with the applicable guidelines.

The year-wise data of unpaid/unclaimed dividend lying with the Bank is available on the Bank's website (www.pnbindia.in).

11. Other Information

- a) Pursuant to the SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, the Annual Report for FY 2022-23 containing the Notice of the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Bank's STA/Depository Participant(s).
- b) Shareholders may also note that the Annual Report for FY 2022-23 inter alia containing the Notice of AGM is also being made available on the Bank's website www.pnbindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.
- c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders holding shares in physical form are requested to get their email ids registered with the Bank's STA in case of shares held in physical form and Depository Participant in case of shares held in electronic form.
- d) Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March, 2023 regarding 'Common and simplified norms for processing investor's service requests by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination', shareholders holding shares in physical form are requested to furnish/PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers with the Bank's STA latest by 30th September, 2023. The folio(s) wherein any one of the aforesaid document/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.



- ई) नाम, डाक पता, ईमेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, के मामले में खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि, शेयरधारक भौतिक रूप में शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ इसे अपडेट करवा सकते हैं।
- एफ) शेयरधारक जो भौतिक रूप में कई फोलियो में समान नामों या नामों के समान क्रम में संयुक्त नामों में शेयर रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एक ही फोलियो में समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाणपत्र एसटीए को भेजें।
- जी) सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 40 के अनुसार, यथासंशोधित, सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को केवल प्रतिभूतियों के संचरण या स्थानान्तरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर 01 अप्रैल, 2019 से केवल डिमैट रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को अमूर्त रूप में परिवर्तित करें।
- e) In case of changes, if any, pertaining to name, postal address, email address, telephone/mobile number, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC etc., the shareholders may get the same updated with the Bank's STA, in case of shares held in physical form, and with their respective Depository Participant(s), in case of shares held in electronic form.
- f) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the STA for consolidation into a single folio.
- g) As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed entities can be transferred only in dematerialized form with effect from, 01st April, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical form are therefore requested to convert their holdings to dematerialized form.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

By order of the Board of Directors
for PUNJAB NATIONAL BANK

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03.06.2023

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

Place: New Delhi
Date: 03.06.2023

(Ekta Pasricha)
Company Secretary



व्याख्यात्मक कथनः

● मद संख्या.3:

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, पार्टी लेनदेन से संबंधित सभी सामग्री के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में हैं। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से किया जाने वाला लेनदेन पिछले लेनदेन से ₹ 1000 करोड़ या सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक है तो किसी संबंधित पार्टी लेनदेन को 'भौतिक' माना जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया है:

विवरण	लेन-देन का विवरण		
संबंधित पार्टी का नाम और बैंक के साथ उसका संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सब्सिडरी)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट)	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट)
लेन-देन का प्रकार	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी में सुरक्षा व्यवस्था सेवाएं ईबीपी के माध्यम से एनसीडी जारी करता है जिसमें पीएनबी गिल्ट इश्यू का अरेंजर्स/अरेंजर्स में से एक हो सकता है और ऐसे अन्य लेन-देन भी जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किए जा सकते हैं।	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता और ऐसे अन्य लेन-देन जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किए जा सकते हैं।	
प्रस्तावित लेनदेन की तात्त्विक शर्तें और विवरण	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन/मुद्रा बाजार लेनदेन/प्रतिभूतियों का प्राथमिक अभिदान, बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य/प्रतिभूतियों के उचित मूल्य के अनुसार किया जाएगा। एनसीडी जारी करने के लिए पीएनबी गिल्ट की व्यवस्था करने वाली सेवाओं का उपयोग पीएनबी इश्यू आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा और सभी प्रबंधकों के लिए बैंक द्वारा तय किए गए अरेंजर-शिप शुल्क का भुगतान एक समान होगा।		
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	6000.00	6000.00	2000.00
संस्था का स्वरूप या संबंधित पार्टी का हित (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय		
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात् बैंक की वार्षिक समेकित)	6.06%	6.06%	2.02%
कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन (31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है।			
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण के साथ साथ कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन:			
(i) किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य पाठ्यक्रम से किया जाएगा।		



Explanatory Statement:

• **Item No.3:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions		
	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)	PNB Metlife India Insurance Company Limited (Associate)
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)	PNB Metlife India Insurance Company Limited (Associate)
Type of Transaction	Outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/Debentures of PSUs, other bodies, as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year.	Outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/Debentures of PSUs, other bodies, as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year	
Material terms and particulars of the proposed transaction	Outright securities transactions/money Market transactions/ Primary subscriptions of securities, will be done as per the prevailing market price/Fair value of securities in line with Bank's Policy Guidelines. Arranger services of PNB Gilts for NCD issuances shall be utilised as per PNB's issue requirement and payment of arrangership fee shall be uniform to all the arrangers as decided by the Bank.		
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	6000.00	6000.00	2000.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial		
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2023)	6.06%	6.06%	2.02%
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:			
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. Funds will be utilized from normal course of Banking.		



विवरण	लेन-देन का विवरण
(ii) कार्यकाल	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है। कार्यकाल जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगा।
(iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति सहित यथालागू शर्तें।	प्रसंविदा, चुकौती अनुसूची, चाहे सुरक्षित/असुरक्षित, आदि सहित यथालागू शर्तें प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार होंगी। प्रस्तावित लेन-देन, बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सामान्य कारोबार में स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे। प्रतिभूतियों का मूल्य प्रचलित बाजार पद्धति के अनुसार उचित बाजार मूल्य पर होगा।
(iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	निधि का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	बैंक सक्रिय रूप से प्रतिभूतियों की खरीद (भारत सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, कार्पोरेट आदि द्वारा जारी जो बैंक से संबंधित या असंबंधित हो, बैंकिंग के सामान्य प्रक्रिया से, और बाजार के अवसरों का लाभ उठाकर व्यापार / निवेश पोर्टफोलियो से लाभ को अनुकूलित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध है और इसलिए, बैंक के हित में है। इसके अलावा, पीएनबी गिल्ट्स डेट मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी है और प्रथमिक डिलर है। लेनदेन बाजार दरों पर किया जाएगा, ताकि पीएनबी बाजार के अवसर से न चूके।
मूल्यांकन या अन्य बाह्य पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक ओर बैंक के बीच प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त उल्लिखित संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1000 करोड़ से अधिक है खर्थात सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात ₹ 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी हो कम हो, लेन-देन संबंधित पार्टियों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किया जाएगा।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने उपरोक्त महत्वपूर्ण संबंधी पार्टी लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि मद संख्या 3 में रखी गई प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन, शेरधारकों के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष/पार्टी नोटिस के मद संख्या 3 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए वोट नहीं करेंगे।

● मद संख्या 4:

सेबी लिरिटिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण से संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और सामान्य व्यापार प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'सामग्री' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹ 1000 करोड़ या 10% से अधिक है। सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी कम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:



Particulars	Details of Transactions
(ii) Tenure	The Transactions are proposed to be undertaken during FY 2023-24. The Tenure will be as per terms of the securities issued.
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	The applicable terms including covenants, repayment schedule, whether secured/unsecured, etc. will be as per the terms of the issuance of securities. The proposed Transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines. The securities shall be priced at Fair Market Value as per the prevailing market practice.
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	The funds will be utilized solely for the intended purpose as approved by the Competent Authority.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The Bank is engaged in purchase/sale of securities (issued by Government of India, State Governments, PSUs, Corporates etc. which may be related or unrelated to the Bank) during its normal course of business, to optimise profits from trading/investment portfolio by taking advantage of market opportunities and the transaction is therefore, in the interest of the Bank. Further, PNB Gilts is one of the major players in Debt Market and is a primary dealer. The transactions shall be carried out at Market rates, so that PNB does not miss out on a market opportunity.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower] The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.


The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 3, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 3 of the Notice.

● **Item No.4:**


In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:



विवरण	लेन-देन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक)	पीएनबी फाइनेंस (सहायक)
लेन-देन का प्रकार	संबंधित पक्षों सहित अपने ग्राहकों को अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार के हिस्से के रूप में सावधि ऋण, लाइन ऑफ क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट आदि के रूप में ऋण और अग्रिम।	
प्रस्तावित लेनदेन के भौतिक नियम और विवरण	प्रस्तावित लेनदेन के नियम और शर्तें बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।	
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	2500.00	6890.00
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय	
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात् बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2023)	2.52%	6.95%
को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन:		
i) की गई वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य पाठ्यक्रम से किया जाएगा।	
ii) कार्यकाल	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है। ऋण सुविधा का कार्यकाल बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृति की शर्तों के अनुसार होगा।	

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)
Type of Transaction	Loans and Advances in the form of Term Loans, Line of Credit, Overdraft etc. as part of its normal banking business to its customers including related parties.	
Material terms and particulars of the proposed transaction	The terms and conditions of the proposed transactions shall be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	2500.00	6890.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2023)	2.52%	6.95%
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:		
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. Funds will be utilized from normal course of Banking.	
(ii) Tenure	The Transactions are proposed to be undertaken during FY 2023-24. The Tenure of the credit facility will be as per the terms of sanction in accordance with Bank's Policy/Regulatory Guidelines.	



विवरण	लेन-देन का विवरण
(iii) लागू शर्तें, जिनमें शामिल हैं: अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो या प्रतिभूति न होय यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति।	अनुबंधों सहित लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो / प्रतिभूति न हो, प्रतिभूति की प्रकृति आदि बैंक की नीति/नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी और उधारकर्ता सहमत होंगे। लेन-देन, बैंक के सामान्य कारोबार के दौरान पहुँच के भीतर किए जाएंगे। ब्याज दरें प्रचलित बाजार दर पर आधारित होंगी या बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होंगी। चुकौती अनुसूची उधारकर्ताओं के साथ सहमत शर्तों के अनुसार होगी।
iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार इस तरह के निधि के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधि का उपयोग किया जाएगा।	जैसा कि ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के समय निर्दिष्ट किया गया है।
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	बैंक के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लेन-देन किए जाने का प्रस्ताव है और यह निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा और इसलिए बैंक के हित में होगा।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पक्षों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है खर्चात सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात् ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात् वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी न्यूनतम हो। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शोयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन को मद संख्या 4 में रखा गया है, शोयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति लेने के लिए वार्षिक आम बैठक में साधारण संकल्प के रूप में रखा जाए।

शोयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 4 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

Particulars	Details of Transactions
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	The applicable terms including Covenants, whether secured/ unsecured, nature of security etc. will be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines and as agreed to by the borrowers. The Transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank. The interest rates shall be based on prevailing market rate or linked to external benchmark. Repayment Schedule shall be as per the terms agreed to with the borrowers.
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	As specified at the time of availing the credit facilities.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the business of the Bank and shall be in accordance with the laid down norms, policies and procedures and therefore, in the interest of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable


The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 4, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 4 of the Notice.



• मद् संख्या 5:

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे व्यापार पहुँच के भीतर और सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'सामग्री' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹1000 करोड़ या 10% से अधिक है, सूचीबद्ध इकाई के विवरण; जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण								
	असम ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	मणिपुर ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	पंजाब ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)
लेन-देन का प्रकार	अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) लेनदेन								
प्रस्तावित लेनदेन की सामग्री शर्तें और विवरण	आईबीपीसी लेनदेन बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई कीमतों पर किया जाएगा और स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किया जाएगा।								
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय								
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	6000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00	2000.00
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात् बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य (31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष के समेकित आय के आधार पर) का प्रतिनिधित्व करता है।	6.06%	6.06%	2.02%	2.02%	2.02%	10.10%	2.02%	2.02%	2.02%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन जैसे:									



• Item No. 5:

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions								
	Assam Gramin Vikash Bank (Associate)	Bangiya Gratmin Vikash Bank (Associate)	Himachal Pradesh Gramin Bank (Associate)	Manipur Rural Bank (Associate)	Punjab Gramin Bank (Associate)	Prathama UP Gramin Bank (Associate)	Tripura Gramin Bank (Associate)	Dakshin Bihar Gramin Bank (Associate)	Sarva Haryana Gramin Bank (Associate)
Name of Related Party and its relationship with the Bank									
Type of Transaction	Inter-Bank Participation Certificate (IBPC) Transactions								
Material terms and particulars of the proposed transaction	IBPC transactions will be undertaken at the prices decided by the Competent Authority as per the Bank guidelines and shall be carried out on an arm's length basis.								
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial								
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	6000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00	2000.00
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2023)	6.06%	6.06%	2.02%	2.02%	2.02%	10.10%	2.02%	2.02%	2.02%
Transactions relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.:									

लेनदेन का विवरण	
विवरण	
(i) की गई वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण इस तरह के लेनदेन करने के लिए बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य कार्यप्रणाली से किया जाएगा।	
ii) कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है। ऋण सुविधा की अवधि बैंक की नीति नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार मूजरी का शर्तों के अनुसार होगी।	
iii) लागू शर्तें जिनमें शामिल हैं अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और अनुसूची सहित पुनर्भुगतान हेतु लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हों या प्रतिभूति न हों यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति।	आईबीपीसी लेनदेन बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कीमतों पर किया जाएगा। इस तरह के लेनदेन पहुँच के भीतर किए जाएंगे।
iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	निधि का उपयोग केवल जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, उनके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य।	ये लेनदेन प्रचलित बाजार दरों और बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ऋण निर्णय के अनुसार किए जाते हैं। बैंक आवश्यक नियामक अनुपातों के रखरखाव और कारोबार के विकास के अवसरों के लिए इस तरह के लेनदेन में सक्रिय रूप से संलग्न है और इसलिए यह बैंक के हित में है।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1000 करोड़ से अधिक है ख्याति सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात् ₹ 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो,। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संयवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।


कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त महत्वपूर्ण संबंधी पक्षों की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित महत्वपूर्ण से संबंधित पक्षों की लेनदेन को मद संख्या 5 में रखा गया है, जिसे शेरधारकों की स्वीकृति के लिए एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए।

शेरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 5 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

• **मद संख्या 6:**

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संयवहार के आधार पर और व्यापार सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'सामग्री' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के



Particulars	Details of Transactions
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific financial indebtedness in order to undertake such transactions. Funds will be utilized from normal course of Banking
(ii) Tenure	The transactions are proposed to be undertaken during FY 2023.-24. The tenure of the credit facility will be as per the terms of sanction in accordance with the Bank's Policy / regulatory Guidelines.
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	IBPC transactions will be carried out at the prices decided by the Competent Authority as per the Bank's Guidelines. Such transactions shall be on an arm's length basis.
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	The funds will be utilized solely for intended purpose which has been approved by the Competent Authority.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank.	These transactions are undertaken as per the credit decision of the Bank according to the prevalent Market rates and Bank's Policy Guidelines. The Bank actively engages in such transactions for maintenance of required regulatory ratios and for business growth opportunities and is therefore in the interest of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.


The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 5, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 5 of the Notice.

• **Item No.6:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually



साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय सूचीबद्ध विवरणी के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 1000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक)
लेनदेन का प्रकार	चालू खाता जमा राशि
प्रस्तावित लेनदेन की महत्वपूर्ण शर्तें और विवरण	बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न सेवाओं के लिए बैंक ग्राहकों के चालू खातों पर सामान्य बैंकिंग शुल्क लगाता है। वर्तमान में, ग्राहकों द्वारा रखे गए चालू खाते की शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	एक बार चालू खाता खोलने के बाद, यह पूरी तरह से ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह खाते में कितनी राशि डालना चाहता है। इसलिए, लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, लेनदेन का मूल्य ₹1000.00 करोड़ से अधिक हो सकता है।
संबंधित पार्टी के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)	लागू नहीं है, क्योंकि इस समय राशि की गणना नहीं की जा सकती है।
बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन के अन्य विवरण जैसे:	लागू नहीं
(i) किए गए वित्तीय ऋण का विवरण (ii) कार्यकाल (iii) प्रतिज्ञापत्र, कार्यकाल, ब्याज दर और अनुसूची सहित लागू पुनर्भुगतान की शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो या प्रतिभूति न होय यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति। (iv) उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं

or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)
Type of Transaction	Current Account Deposits	
Material terms and particulars of the proposed transaction	The Bank levies normal banking charges on the current accounts of Customers for various services in line with the Bank's Policy Guidelines. Currently, no interest is paid on current account balance maintained by the customers.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	Once a current account is opened, it is entirely up to the discretion of the customer as to how much amount it seeks to place in the account. Hence, the value of the transaction is not determinable. However, the value of transaction may exceed ₹1000.00 crore.	
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2023)	Not applicable, as the amount cannot be calculated at this point of time.	
Other details of Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.:	Not applicable	
(i) Details of Financial Indebtedness incurred (ii) Tenure (iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security. (iv) Purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	Not Applicable	



विवरण	लेनदेन का विवरण
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	अपने ग्राहकों के साथ बैंक के बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लेनदेन करने का प्रस्ताव है, जिसमें बैंक के संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पक्षों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है खर्थात सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो,। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शोयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधी पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन को मद संख्या 6 में रखा गया है, जिसे शोयरधारकों की स्वीकृति के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए।

शोयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 6 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

• मद संख्या 7:

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शोयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और व्यापार सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'भौतिक' माना जाता है यदि लेनदेन का व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹1000 करोड़ या 10% से अधिक है, सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मटेरियल संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शोयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

Particulars	Details of Transactions
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the banking business of the Bank with its customers, which may include related parties of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.


The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 6, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 6 of the Notice.

• Item No.7:

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:



विवरण	लेनदेन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, (अंतर्राष्ट्रीय सहायक)	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम)
लेन-देन का प्रकार	नोस्ट्रो खातों में लेनदेन	
प्रस्तावित लेनदेन की मटेरियल शर्तों और विवरण	दो बैंकों के बीच ग्राहकों के फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए मानक नियमों और शर्तों के अनुसार।	
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	लेन-देन की मात्रा ग्राहक केंद्रित है इसलिए मूल्य और मात्रा निर्धारित नहीं है और मूल्य वर्ष के किसी भी समय के दौरान ₹ 1000.00 करोड़ से अधिक हो सकता है।	
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय	
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	लागू नहीं है, क्योंकि इस समय राशि की गणना नहीं की जा सकती है।	
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन के अन्य विवरण जैसे:		

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	Druk PNB Bank Limited (International Subsidiary)	Everest Bank Limited (International Joint Venture)
Type of Transaction	Transactions in the Nostro Accounts	
Material terms and particulars of the proposed transaction	As per standard terms & conditions for facilitating funds transfer of customers between two Banks.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	The volume of transactions depends on the customer, therefore value and volume is not determinable. However, the value may exceed ₹1000.00 crore during any point of time of the year.	
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2023)	Not applicable, as the amount cannot be calculated at this point of time.	
Other details of Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.:		



विवरण	लेनदेन का विवरण
(i) किए गए वित्तीय ऋण का विवरण (ii) कार्यकाल (iii) लागू शर्तें जिसमें शामिल है। प्रतिज्ञापत्र, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति। (iv) उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	ये लेनदेन ग्राहकों के साथ बैंक के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें बैंक के संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1000 करोड़ से अधिक है खर्थात सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधी पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन को मद संख्या 7 में रखा जाए, जिसे शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 7 पर साधारण संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

Particulars	Details of Transactions
(i) Details of Financial Indebtedness incurred (ii) Tenure (iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security. (iv) Purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	Not Applicable
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	These transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the business of the Bank with customers which may include related parties of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable


The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 7, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 7 of the Notice.



मद सं. 8 से मद सं.13: बैंक के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन के लिए अनुमोदन 01.01.2022 से प्रभावी:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17(1सी) के संदर्भ में, 01.01.2022 से प्रभावी, सूचीबद्ध इकाई(ओं) को बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। निदेशकों की या प्रबंधक के रूप में अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समयावधि के भीतर, जो भी पहले हो, लिया जाता है। इसके बाद, सेबी ने सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम 2023 दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से, पूर्वोक्त विनियम में इस आशय का एक प्रावधान जोड़ा कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में अगली आम बैठक में लिया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के मामले में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर बैंक के बोर्ड के सभी निदेशकों को केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड में नियुक्त/नामित किया जाता है।

सेबी द्वारा हाल के अनौपचारिक मार्गदर्शन के मद्देनजर, विनियम 17(1C) की आवश्यकता बैंक पर लागू होती है और परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अनिवार्य रूप से बैंक की अगली आम बैठक में लिया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, निदेशकों के संबंध में शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जा रही है जिन्हें 01.01.2022 से लागू होने वाले SEBI (LODR) विनियमों में संशोधन के बाद बैंक के बोर्ड में नियुक्त/नामित किया गया है।

• मद संख्या 8:

श्री अतुल कुमार गोयल को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ. सं.4/1/2021-बीओ.आई दिनांक 28 दिसंबर, 2021, के माध्यम से 01 फरवरी, 2022 से तथा उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि (अर्थात्, 31.12.2024), या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिरिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित की गई है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है।

श्री अतुल कुमार गोयल का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री अतुल कुमार गोयल ने दिनांक 01.02.2022 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे

Item No.8 to Item No.13: Approval for appointment/nomination of Directors on the Board of the Bank with effect from 01.01.2022:

In terms of the Regulation 17(1C) of the SEBI (LODR) Regulations, with effect from 01.01.2022, the listed entity(ies) are required to seek approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a manager at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Subsequently, SEBI vide SEBI (LODR) (Amendment) Regulations 2023 dated 17.01.2023, inserted a Proviso to the aforesaid Regulation to the effect that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In the case of Public Sector Banks (PSBs), all the Directors on the Board of the Bank, except Shareholder Directors, are appointed/nominated on the Board by the Central Government in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In view of the recent Informal Guidance by SEBI, the requirement of Regulation 17(1C) is applicable to the Bank and consequently, approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of the Directors is mandatorily required to be taken at the next general meeting of the Bank.

Accordingly, the approval of the shareholders is being sought in respect of Directors who have been appointed/nominated on the Board of the Bank post amendment in the SEBI (LODR) Regulations coming into effect from 01.01.2022.

• Item No.8:

Mr. Atul Kumar Goel was appointed by the Government of India as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.4/1/2021-BO.I dated 28th December, 2021 with effect from 01st February, 2022 and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 31.12.2024), or until further orders, whichever is earlier.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Mr. Atul Kumar Goel as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Shri Atul Kumar Goel is as under:

Sh. Atul Kumar Goel assumed the charge as Managing Director & CEO of the Bank w.e.f. 01.02.2022. Prior to this, he was the



पूर्व वह यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पदोन्नति से पहले, वह 15.09.2016 से 01.11.2018 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे।

श्री गोयल को तीन बैंकों में अर्थात् इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में लगभग तीन दशकों का कारोबारी बैंकिंग अनुभव है। एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में, उनके पास सहायता सेवा, कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन, अनुपालन आदि के अलावा बड़े कॉर्पोरेट, ट्रेजरी प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजना और निवेशक संबंध जैसे बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक अनुभव, विवेक और विशेषज्ञता है। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में, उन्होंने यूको बैंक को भारत में अग्रणी बैंकों में से एक बनाने की कल्पना की और बैंक को 5 वर्ष के लगातार नुकसान के बाद वित्त वर्ष 2020-21 में लाभप्रदता में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 01.10.2019 से 31.12.2021 तक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक थे। वह गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) की कार्यपालक समिति के अध्यक्ष भी हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य करते हुए, बैंक के बड़े कॉर्पोरेट और लेखा और वित्त प्रभाग में उनका योगदान उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के माध्यम से अतुलनीय था। उन्होंने स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया।

श्री गोयल ने 27.03.1992 को पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) में स्केल II में विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में शामिल हुए थे और उन्हें महाप्रबंधक के स्तर तक पदोन्नत हुए। उन्होंने बैंकिंग परिचालन के विशाल स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले प्रमुख क्षेत्रों को, विशेष रूप से मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के मुंबई अंचल के प्रमुख के रूप में संभाला। उन्होंने ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

श्री गोयल ने प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने सीएफआरएएल के तत्वावधान में विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

उन्होंने 'लेखा मानक और कराधान पर स्थायी समिति' और 'भारतीय बैंक संघ की रिटेल बैंकिंग पर स्थायी समिति' (आईबीए) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। 14.10.2021 को आईबीए की प्रबंध समिति ने श्री गोयल को आईबीए का अध्यक्ष चुना।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. बैंक के कारोबार के संदर्भ में कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

सी. श्री गोयल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के बोर्ड में गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। वह नामांकन और पारिश्रमिक

Managing Director & CEO of UCO Bank. Before his elevation as the Managing Director & CEO of UCO Bank, he was Executive Director in Union Bank of India from 15.09.2016 to 01.11.2018.

Shri Goel has around three decades of Professional Banking Experience in three Banks viz. Allahabad Bank (now Indian Bank), Union Bank of India & UCO Bank. As a qualified Chartered Accountant, he has vast experience, exposure & expertise in all major areas of Banking including Large Corporate, Treasury Management, Risk Management; Financial Planning & Investor Relations apart from Support Service, Business Process Transformation, Compliance etc. As a Managing Director & Chief Executive Officer of UCO Bank, he envisioned UCO Bank to be one of the leading Banks in India and was instrumental in bringing the Bank back to profitability in FY 2020-21 after 5 years of consecutive losses. He was a Director on the Board of the New India Assurance Co. Ltd from 01.10.2019 to 31.12.2021. He is also the member of Governing Council & Chairman of Executive Committee of Indian Institute of Banking & Finance (IIBF).

While working as Executive Director at Union Bank of India, his contribution to Large Corporate and Accounts and Finance Division of the Bank was immeasurable through his rich knowledge and experience. He served as a Director on the Boards of Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. & Union Trustee Company Private Limited.

Shri Goel joined erstwhile Allahabad Bank (now Indian Bank) on 27.03.1992 as a Chartered Accountant in Specialist Officer in Scale II and was elevated up to the level of General Manager. He handled key areas covering vast spectrum of Banking operations, most importantly as Chief Financial Officer (CFO) and Head of Mumbai Zone of erstwhile Allahabad Bank. He also served as Director of All Bank Finance Limited.

Shri Goel has attended various training programmes conducted by prestigious Institutions. He has also undergone training programme held abroad conducted under aegis of CAFRAL.

He has also acted as the Chairman of 'Standing Committee on Accounting Standards & Taxation' and 'Standing Committee on Retail Banking of Indian Banks' Association (IBA). On 14.10.2021, the Managing Committee of IBA elected Shri Goel as Chairman of IBA.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- There is no inter-se relationship between Directors
- Shri Goel is a Non-Executive Director on the Board of PNB Housing Finance Limited PNBHFL He is a member of the Nomination & Remuneration Committee and the

समिति और पीएनबीएचएफएल के बोर्ड की हितधारक संबंध समिति और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य हैं।

डी. उन सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें श्री गोयल का पिछले तीन वर्षों में निदेशक का कार्यकाल समाप्त हुआ: (i) द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और (ii) यूको बैंक।

ई. पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारिता: 15 शेयर

श्री अतुल कुमार गोयल को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने संस्तुति की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

• **मद संख्या 9:**

श्री अनिल कुमार मिश्रा को भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं. 6/3/2011-बीओ.आई दिनांक 25 फरवरी, 2022 और अगले आदेश तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) 1970, के अधिनियम की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत 25 फरवरी, 2022 से बैंक के बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) के पहले प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया गया है।

अतः, भारत सरकार द्वारा समान निर्धारित नियमों और शर्तों पर भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री अनिल कुमार मिश्रा की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है।

श्री अनिल कुमार मिश्रा का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री अनिल कुमार मिश्रा को 25.02.2022 से बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री मिश्रा भारतीय रिजर्व बैंक में एक कार्यपालक निदेशक थे, जो बैंकिंग के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी थे। वह जुलाई, 2018 में आरबीआई से सेवानिवृत्त हुए।

1982 से सेंट्रल बैंकर के रूप में उनके करियर अनुभव में मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा, भुगतान प्रणाली, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्रेडिट मध्यवर्ती के विनियमन और पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन और रिजर्व बैंक में जोखिम निगरानी के क्षेत्र शामिल हैं।

उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बोर्ड के सदस्य थे।

उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में एक वित्तीय क्षेत्र स्थिरता सलाहकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ और निधि वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएएसएपी) टीम के सदस्य के रूप में अपने सदस्य क्षेत्रधिकार

Stakeholders Relationship Committee of the Board of PNBHFL

d. Name of listed entities in which Shri Goel has ceased to be director in the past three years: (i) The New India Assurance Co. Ltd. and (ii) UCO Bank.

e. Shareholding in Punjab National Bank: 15 Shares

Except Shri Atul Kumar Goel, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.

• **Item No. 9:**

Shri Anil Kumar Misra was appointed as Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the Board of the Bank under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.6/3/2011-BO.I dated 25th February, 2022 with effect from 25th February, 2022 and until further orders.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Anil Kumar Misra as Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Shri Anil Kumar Misra is as under:

Shri Anil Kumar Misra was appointed as Director on the Board of the Bank with effect from 25.02.2022.

Shri Misra was an Executive Director in the Reserve Bank of India, responsible for supervision of Banking as well as non-Banking Financial Institutions. He retired from RBI in July, 2018.

As a career central banker since 1982, his experience encompasses the areas of currency management, foreign exchange, payment systems, regulation and supervision of banking & non-banking credit intermediaries, financial inclusion and risk monitoring in the Reserve Bank.

He has served as a Director on the Boards of the Jammu & Kashmir Bank Limited, Union Bank of India, Export Credit and Guarantee Corporation of India Limited and was a member of the Board of National Bank for Agriculture and Rural Development.

His international experience includes association with the International Monetary Fund as a Financial Sector Stability Advisor and as a member of the Fund's Financial Sector



के बैंकिंग-क्षेत्र मूल्यांकन के लिए सहयोग शामिल है। श्री मिश्रा का वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी, बासेल, स्विट्जरलैंड में स्थित) था, जो वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों और नीतिगत सुधारों से निपटने के लिए जी20 शाखा है, में सचिवालय के सदस्य के रूप में साढ़े चार साल का कार्यकाल रहा है।

एफएसबी में, वह एफएसबी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना विनिमय पहल के शुभारंभ में, 65 से अधिक देशों के छह विश्वव्यापी क्षेत्रीय सलाहकार समूहों के माध्यम से इसकी वैश्विक आउटरीच रणनीति और इसके शासन सुधारों के साथ निकटता से जुड़े थे, जिसके कारण एफएसबी में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हुए। श्री मिश्रा के पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए) और बिजनेस मैनेजमेंट (बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी) में मास्टर डिग्री है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- बैंक के कारोबार के संदर्भ में कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक: शून्य
- उन सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें श्री मिश्रा का पिछले तीन वर्षों में निदेशक का कार्यकाल समाप्त हुआ: शून्य
- पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारिता: शून्य

श्री अनिल कुमार मिश्रा को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने संस्तुति की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

• मद सं.10

श्री पंकज शर्मा को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अंतर्गत बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना सं ईएफ.सं.6/2/2022-बीओ.आई दिनांक 11 अप्रैल, 2022 के माध्यम से दिनांक: 11 अप्रैल 2022 से और अगले आदेश तक भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 17(1C) के पहलेवाक्यांश के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

इसलिए, श्री पंकज शर्मा को भारत सरकार द्वारा नामित नियमों और शर्तों के अधीन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है।

श्री पंकज शर्मा का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

Assessment Program (FSAP) Team for the banking-sector assessment of its member jurisdictions. Shri Misra also had a four-and-a-half year stint as a Member of Secretariat at the Financial Stability Board (FSB, located in Basel, Switzerland), which is the G20 arm for dealing with the global financial sector issues and policy reforms.

At the FSB, he was closely involved with the roll out of the FSB's International Cooperation and Information Exchange Initiative, its global outreach strategy via the six worldwide Regional Consultative Groups comprising over 65 Countries and its governance reforms, which led to certain structural changes in the FSB. Shri Misra holds Master's degrees in Public Administration (Harvard University, USA) and in Business Management (Banaras Hindu University).

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Reserve Bank of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- There is no inter-se relationship between Directors
- Directorship in other listed entities: Nil
- Name of listed entity in which Shri Misra has ceased to be director in the past three years: Jammu & Kashmir Bank Ltd.
- Shareholding in Punjab National Bank: Nil

Except Shri Anil Kumar Misra, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.


• Item No. 10:

Shri Pankaj Sharma was appointed as the Government of India Nominee Director on the Board of the Bank under Section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.6/2/2022-BO.I dated 11th April, 2022 with effect from 11th April, 2022 and until further orders.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Pankaj Sharma as Government of India Nominee Director on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Shri Pankaj Sharma is as under:



श्री पंकज शर्मा को दिनांक 11 अप्रैल 2022 से पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री पंकज शर्मा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आपको सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में लगभग दो दशकों का अनुभव है। आपको राजकोषीय नीति, वित्तीय रिपोर्टिंग, सूचना प्रणाली के आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा आदि क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। अपने करियर के दौरान, आपने ग्रामीण विकास और पंचायती राज एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में काम किया है। आप वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के निर्माण के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति और वित्तीय सुदृढीकरण के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए समिति के साथ सन्मद्धता से जुड़े हुए थे। आपके कार्य अनुभव में विश्व बैंक के साथ एक कार्यकाल शामिल है।

भारतीय सिविल लेखा सेवा के एक अधिकारी, श्री शर्मा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से इंजीनियरिंग स्नातक हैं और आपने ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर किया है। आपने वित्त विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। पर्यावरण विनियमन के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपकी रुचि है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- बैंक के कारोबार के संदर्भ में श्री शर्मा के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति की जाती है।
- निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिसमें श्री शर्मा का पिछले तीन वर्षों में निदेशक का कार्यकाल समाप्त हुआ: शून्य
- पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारिता: शून्य

श्री पंकज शर्मा के अलावा, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने अनुशांसा की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

• मद सं. 11

श्री बिनोद कुमार को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना सं ईएफ.सं. 4/6/2021-बीओ आई दिनांक 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से 21 नवंबर, 2022 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

Shri Pankaj Sharma was appointed as the Government of India Nominee Director on the Board of Punjab National Bank with effect from 11.04.2022.

Shri Pankaj Sharma serves as Joint Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance. He has experience of nearly two decades in the area of Public Financial Management. He has extensive experience in the areas of fiscal policy, financial reporting, internal control and audit of information systems, etc. During his career, he has worked in the sectors of Rural development and Panchayati Raj and Scientific research. He was closely involved with the Ministry of Finance constituted Committee regarding creation of Senior Citizens Welfare Fund and Committee for preparation of roadmap for fiscal consolidation. His work experience includes a stint with World Bank.

An officer of Indian Civil Account Services, Shri Sharma is an Engineering graduate from Indian Institute of Technology, Kanpur and has done Masters in Public Administration from Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. He also holds degree of Masters in Business Administration with Finance Specialisation. He has interest in the field of economics of environmental regulation.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- There is no inter-se relationship between Directors
- Directorship in other listed entities: Nil
- Names of listed entity in which Shri Sharma has ceased to be Director in the past three years: Nil
- Shareholding in Punjab National Bank: Nil

Except Shri Pankaj Sharma, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.

• Item No. 11

Mr. Binod Kumar was appointed by the Government of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.4/6/2021-BO. I dated 21st November, 2022 with effect from 21st November, 2022, or until further orders, whichever is earlier.



भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 17(1C) के पहले वाक्यांश के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

इसलिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिनोद कुमार की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है।

श्री बिनोद कुमार का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री बिनोद कुमार ने 21 नवंबर, 2022 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री बिनोद कुमार, रांची विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और एनआईटीएच से बैंकिंग एवं वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जीएआरपी (यूएसए) से वित्तीय जोखिम प्रबंधक (एफआरएम) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीआईआईबी) के प्रमाणित सहयोगी सदस्य हैं।

श्री कुमार ने भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (IIBF) से ट्रेजरी निवेश एवं जोखिम प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा किया है और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बैंगलोर से नेतृत्व कौशल विकास कार्यक्रम पाठ्यक्रम किया है।

श्री कुमार ने वर्ष 1994 में पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपनी बैंकिंग यात्रा शुरू की और पिछले 28 वर्षों तक बैंक की सेवा की। आपके पास 28 से अधिक वर्षों का बैंकिंग का समृद्ध एवं विविध अनुभव है, जिनमें शाखा और प्रशासनिक कार्यालय से लेकर जोखिम प्रबंधन, ऋण आदि शामिल हैं। आपने शाखा कार्यालय: डीआईएफसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी काम किया है और इससे पूर्व मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कॉर्पोरेट ऋण प्रभाग, प्रधान कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक का नेतृत्व कर रहे थे।

आपने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और आईएसएआरसी (इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) के बोर्ड में पीएनबी की ओर से नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- बैंक के कारोबार के संदर्भ में कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति की जाती है।
- निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक: शून्य
- उन सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें बिनोद कुमार का पिछले तीन वर्षों में निदेशक का कार्यकाल समाप्त हुआ: शून्य
- पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारिता: 6350 शेयर

श्री बिनोद कुमार के अलावा, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Binod Kumar as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Shri Binod Kumar is as under:

Shri Binod Kumar assumed charge as Executive Director of the Bank on 21.11.2022.

Shri Binod Kumar is a Graduate in science from Ranchi University and holds Post Graduate Diploma in Banking & Finance from NIBM, Financial Risk Manager (FRM) from GARP (USA) and is a Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Shri Kumar also holds Diploma in Treasury Investment & Risk Management, Banking & Finance by IIBF and Leadership Skill Development Program from IIM Bangalore.


Shri Kumar started his banking journey in Punjab National Bank as Management Trainee in the year 1994 and has served the bank for last 28 years. He has rich and diversified banking experience of over 28 years, ranging from Branch and Administrative Office to Risk Management, Credit etc. He has also headed BO: DIFC as Chief Executive Officer and was previously heading the Corporate Credit Division, Head Office of Punjab National Bank as Chief General Manager.

He has also served as the Nominee Director on behalf of PNB on the Board of PNB Housing Finance Limited & ISARC (India SME Asset Reconstruction Company Limited).

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- There is no inter-se relationship between Directors
- Directorship in other listed entities: Nil
- Names of listed entity in which Shri Binod Kumar has ceased to be Director in the past three years: PNB Housing Finance Ltd.
- Shareholding in Punjab National Bank: 6350 shares.

Except Shri Binod Kumar, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.



बोर्ड ने अनुशंसा की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

• **मद सं. 12**

श्री एम. परमशिवम को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना सं ईएफ.सं. 4/6/2021-बीओ आई दिनांक 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से 01.12.2022 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिरिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 17(1C) के पहले वाक्यांश के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

इसलिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. परमशिवम की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है।

श्री एम. परमशिवम का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री एम. परमशिवम ने 1 दिसंबर, 2022 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री परमशिवम, एक कृषि स्नातक, ने केनरा बैंक में कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में वर्ष 1990 में अपनी यात्रा शुरू की और वीएलबी के शाखा प्रमुख के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों के क्षेत्रीय और मंडल प्रमुख के रूप में विभिन्न क्षमताओं में पिछले 32 वर्षों से बैंक की सेवा की है और प्रधान कार्यालय, केनरा बैंक में प्राथमिकता प्राप्त ऋण शाखा के प्रमुख भी रहे।

शाखा बैंकिंग, ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विदेशी मुद्रा और व्यापार वित्त, अनुपालन आदि के विविध कार्यक्षेत्रों में आपका अनुभव और योगदान व्यापक रहा है। प्रधान कार्यालय, केनरा बैंक में प्राथमिकता प्राप्त ऋण विंग में विंग प्रमुख के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान, नाबार्ड (NABARD) और कर्नाटक राज्य सरकार के समन्वयन में फ्रूट्स (FRUITS) पोर्टल शुरू किया गया था। ईज-3 मानदंडों के अनुसार कृषि ऋण केंद्रों की शुरुआत में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री परमशिवम ने बैंक बोर्ड ब्यूरो और भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यनीति कार्यक्रम में भी प्रतिभागिता की है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिरिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. बैंक के कारोबार के संदर्भ में कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति की जाती है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.

• **Item No. 12**

Shri M. Paramasivam was appointed by the Government of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.4/6/2021-BO.I dated 21st November, 2022 for a period of three years with effect from 01st December, 2022, or until further orders, whichever is earlier.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri M. Paramasivam as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Shri M. Paramasivam is as under:

Shri M. Paramasivam assumed charge as Executive Director of the Bank on 01.12.2022.

Shri Paramasivam, an agriculture graduate, started his journey in Canara Bank as Agricultural Extension Officer in the year 1990 and served the Bank for last 32 years in various capacities as Branch Head of VLBs, as circle and regional head of various circle and regional offices and also headed Priority Credit Wing at Head Office, Canara Bank.

His experience and contribution is spread across multiple domains of Branch Banking, Credit, Priority Sector, Forex and Trade Finance, Compliance, among others. During his tenure as Head at Priority Credit Wing at Head Office, Canara Bank, FRUITS portal was started in coordination with NABARD and Karnataka State Government. He was also instrumental in commencement of Agri Credit Centres in terms of EASE-3 norms.

Shri Paramasivam has also undertaken Leadership Development Strategy Program organised by Banks Board Bureau and Indian Banks' Association.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- There is no inter-se relationship between Directors



सी. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक: शून्य

डी. सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे श्री एम.परमशिवम का पिछले तीन वर्षों में निदेशक का कार्यकाल समाप्त हुआ: शून्य

ई. पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारिता: 25 शेयर

श्री एम.परमशिवम के अलावा, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने अनुशंसा की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

• मद सं. 13

श्री के. जी. अनंतकृष्णन को भारत सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुच्छेद 5(1) और 9(2)(बी) के साथ पठित धारा 9(3)(एच) के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं. 6/9/2022-BO.I दिनांक 7 नवंबर, 2022 के माध्यम से 7 नवंबर, 2022 से तीन साल की अवधि तक, या अगले आदेश तक, के लिए जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ.सं. 6/20/2019-BO.I दिनांक 30 अगस्त, 2019, बर्तते कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 स्वतंत्र निदेशकों को परिभाषित नहीं करता है, हालांकि, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (जी) और (एच) के तहत नामित गैर-सरकारी निदेशक, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध) के खंड 5(1) के तहत नियुक्त गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सहित प्रावधान) योजना, 1970/1980, प्रकृति में समान हैं और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों के लिए उसी तरह कार्य करने की परिकल्पना की गई है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 25(2ए) और विनियम 17(1सी) के पहले वाक्यांश के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्पके रूप में अनुमोदित किया जाना है।

इसलिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री अनंतकृष्णन की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है।

श्री अनंतकृष्णन ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के अंतर्गत "स्वतंत्र निदेशक" शब्द की परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है।

c. Directorship in other listed entities: Nil

d. Names of listed entity in which Shri M. Paramasivam has ceased to be director in the past three years: Nil

e. Shareholding in Punjab National Bank: 25 shares.

Except Shri M. Paramasivam, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.

• Item No. 13

Shri K. G. Ananthkrishnan was appointed by the Government of India as Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman on the Board of the Bank under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No. 6/9/2022-BO.I dated 7th November, 2022 for a term of three years with effect from 7th November, 2022, or until further orders, whichever is earlier.

The Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India letter F.No. 6/20/2019-BO.I dated August 30, 2019, provided that the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 does not define independent directors, however, non-official directors nominated under clauses (g) and (h) of sub-section (3) of section 9 of the Act, including Non-Executive Chairman appointed under clause 5(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, are similar in nature and are envisaged to function in a manner similar to that for independent directors under the provisions of the Companies Act.

Pursuant to Regulation 25(2A) and the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Independent Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank by way of Special Resolution.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Ananthkrishnan as Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman on the Board of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Shri Ananthkrishnan, has furnished declaration of Independence as enunciated in the definition of the term "Independent Director" under Regulation 16(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



श्री के. जी. अनंतकृष्णन का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री के. जी. अनंतकृष्णन को दिनांक 07.11.2022 से पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री अनंतकृष्णन को औषधि उद्योग में 40 से अधिक वर्षों का प्रगतिशील नेतृत्व अनुभव है। आपको एक उद्योग विचारक नेतृत्वकर्ता, रणनीतिक विचारक और लीक से हटकर (out-of-the-box) समस्या का समाधान करने वाले के रूप में देखा जाता है। आपको अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में उच्च प्रदर्शन करने वाली संस्था बनाने, सफलता प्राप्त करने, राजस्व और लाभ में वृद्धि करने तथा उसे कायम रखने के लिए पहचाना जाता है।

आपके पास रणनीतिक योजना, साझेदारी निर्माण, राजस्व एवं लाभ अनुकूलन, कायापलट प्रबंधन, बिक्री तथा विपणन नेतृत्व, नीति विकास, ब्रांड निर्माण, वित्त, बजट और लागत प्रबंधन के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है।

श्री अनंतकृष्णन के पास विपणन प्रबंधन में परास्नातक की डिग्री (जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई) और विज्ञान में स्नातक की डिग्री (उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद) है। आपने वार्टन बिजनेस स्कूल, यूएसए द्वारा संचालित कार्यकारी विकास कार्यक्रम और इनसीड (INSEAD), फ्रांस द्वारा संचालित फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस प्रोग्राम में सहभागिता की है।

आपने वर्ष 1976 में नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड के साथ अपने करियर की शुरुआत की (बिक्री में) और पूरे भारत में विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और ब्रांड मार्केटिंग कार्यों को संभाला। बाद में, आप फार्माशिया इंडिया में उपाध्यक्ष - बिक्री एवं विपणन के रूप में शामिल हुए और फिर फाइजर इंडिया लिमिटेड में वरिष्ठ निदेशक - औषधि के रूप में कार्य किया। इसके बाद, आपने फुलफोर्ड (इंडिया) लिमिटेड में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में शामिल हुए और एमएसडी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ फुलफोर्ड (इंडिया) लिमिटेड और ऑर्गन (इंडिया) लिमिटेड के परिचालन के सफल एकीकरण में आपका योगदान रहा है। एमएसडी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दक्षिण एशिया क्षेत्र, के रूप में, आपने सबसे तेजी से बढ़ती औषधि कंपनियों में से एक बनने के लिए संयुक्त इकाई की बेहतरी के लिए सुधार करना सुनिश्चित किया,

आपने भारत के औषधि उत्पादक संगठन (ओपीपीआई) के महानिदेशक और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई-फार्मा समिति) के सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के विकास में योगदान दिया।

आप वर्तमान में हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी स्टार्ट अप में परामर्शदाता हैं। इसके अतिरिक्त, आप इंडियन एजुकेशन सोसाइटी फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट प्रोग्राम के सलाहकार पैनल के सदस्य हैं और एसेंट मेडिटेक लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी हैं। आपको भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में प्रमुख प्रबंधन संस्थानों द्वारा अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

The brief profile of Shri K.G. Ananthkrishnan is as under:

Shri K G Ananthkrishnan was appointed as Part-Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of the Bank w.e.f. 07.11.2022.

Shri Ananthkrishnan has more than 40 years of progressive leadership experience in pharmaceuticals industry. He is regarded as an industry thought leader, strategic thinker and is recognized for creating high performance organizations, driving success, improving access, delivering and sustaining revenue and profit growth in highly competitive markets.


He has vast experience and expertise in areas of general management, strategic planning, partnership building, revenue and profit optimization, turnaround management, sales and marketing, policy development.

Shri Ananthkrishnan holds Master's degree in Marketing Management (Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai) and Bachelor's degree in Science (Osmania University, Hyderabad). He has undergone Executive Development Program conducted by Wharton Business School, USA and Finance for Non-Finance Program conducted by INSEAD, France.

He commenced his career in 1976 with Novartis India Limited (in sales) and handled diverse product portfolio. He joined Pharmacia India in 1999 as Vice President - Sales & Marketing and transitioned to Pfizer India Ltd. as Senior Director - Pharmaceuticals. Thereafter, he joined Fulford (India) Ltd. as Chief Operating Officer and was part of successful integration of the operations of Fulford (India) Ltd. and Organon (India) Ltd. with MSD Pharmaceuticals Pvt. Ltd. As Vice President and Managing Director, South Asia Region, MSD, he ensured transformation of the combined entity to become one of the fastest growing pharmaceutical companies.

He served as Director General, Organization of Pharmaceutical Producers of India (OPPI) and Co-Chair (Pharma Committee) - Confederation of Indian Industry (CII), and contributed in development of several important policy initiatives.

He is presently mentoring Healthcare Technology Start Ups. Further, he is an Advisory Panel member of Indian Education Society Pharmaceutical Management Program and also a member on the Board of Ascent Meditech Limited. He has been invited as guest speaker by leading management institutions both in India and USA.



भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. बैंक के कारोबार के संदर्भ में कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति की जाती है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है

सी. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक: शून्य

डी. सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे श्री के जी अनंतकृष्णन का पिछले तीन वर्षों में निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ: शून्य

ई. पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारिता: 2000 शेयर

श्री के. जी. अनंतकृष्णन के अलावा, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने अनुशंसा की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

• मद सं.14

निदेशक मंडल ने पंजाब नेशनल बैंक शेयर खरीद योजना (पीएनबी-ईएसपीएस) के माध्यम से एक या एक से अधिक किश्तों में बैंक के कर्मचारियों को ₹ 2.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 15 करोड़ नए इक्विटी शेयरों की पेशकश करने का निर्णय लिया है, जो कि भारत सरकार / सेबी / अन्य नियामक एजेंसियों आदि के अनिवार्य / नियामक के अधीन अनुमोदन जो इस तरह से कि भारत सरकार की हिस्सेदारी 52.00% से कम न हो।

सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियम, 2021 के अनुपालन में, बैंक पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना ("पीएनबी-ईएसपीएस") नामक एक योजना तैयार कर रहा है।

योजना 'मुआवजा समिति' द्वारा प्रशासित की जाएगी और लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन होगी।

पीएनबी-ईएसपीएस के अंतर्गत जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के भुगतान सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रैंक वाले होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 41(4) और सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियमों के विनियम 6 के अनुपालन में, बैंक पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करने और आवंटित करने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तावित कर रहा है।

जारी करने का उद्देश्य, दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के अलावा, कर्मचारियों को प्रेरित करना और कर्मचारियों के बीच अपनेपन और

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

b. There is no inter-se relationship between Directors.

c. Directorship in other listed entities: Nil

d. Names of listed entity in which Shri Ananthkrishnan has ceased to be Director in the past three years: Nil

e. Shareholding in Punjab National Bank: 2000 shares.

Except Shri K.G. Ananthkrishnan, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Special Resolution at the AGM, for seeking their approval.

• Item No. 14

The Board of Directors has decided to offer upto 15 crore new equity shares of face value of ₹2.00 each to employees through Punjab National Bank Employee Stock Purchase Scheme (PNB-ESPS) in one or more tranches subject to mandatory/ regulatory approvals from the GoI/SEBI/Other regulatory agencies etc. in such a way that the Government of India holding does not fall below 52.00%.

In compliance with SEBI (SBEB & SE) Regulations, 2021, the Bank is formulating a Scheme namely Punjab National Bank Employee Stock Purchase Scheme ("PNB-ESPS").

The Scheme will be administered by the 'Compensation Committee' and shall be subject to compliance with the applicable laws.

The new equity shares proposed to be issued under the PNB-ESPS shall rank pari passu in all respects with the existing equity stock of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Regulation 6 of SEBI (SBEB & SE) Regulations, the Bank is proposing the special resolution for issuance and allotment of new equity shares to eligible employees.

The object of the Issue, apart from raising of long term resources is to motivate the employees and strengthen the



स्वामित्व की भावना को मजबूत करना और बैंक के दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ उनके हितों को संरेखित करते हुए उनके अंशदान के लिए उन्हें पुरस्कृत करना है।

ए. योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक कर्मचारियों को बैंक के ₹ 2/- अंकित मूल्य के 15 (पंद्रह) करोड़ नए इक्विटी शेयरों की पेशकश करने का प्रस्ताव करता है जैसा कि सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियमों के विनियम 2(1)(i) के तहत परिभाषित किया गया है, पीएनबी ईएसपीएस के तहत, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन, उचित प्रीमियम के साथ प्रस्ताव बनाते समय श्मुआवजा समिति के रूप में नामित श्बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा तय किया जाएगा, ऐसे में इस तरह से भारत सरकार की होल्डिंग 52.00% से कम नहीं होती है।

बी. विकल्पों की कुल संख्या, एसएआर, शेयर या लाभ, जैसा भी मामला हो, की पेशकश की जा सकती है और दी जा सकती है:

पीएनबी ईएसपीएस के अंतर्गत कुल मिलाकर 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) नए इक्विटी शेयरों को कर्मचारियों को सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियमों के विनियम 2(1)(i) के अंतर्गत परिभाषित, प्रस्तावित किया गया है।

सी. योजना में भाग लेने के लिए पात्र कर्मचारियों की पहचान श्मुआवजा समिति द्वारा तय किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार की जाएगी:

योजना में भाग लेने के लिए पात्र कर्मचारियों की पहचान 'श्मुआवजा समिति' द्वारा तय किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

डी. निहित करने की आवश्यकताएं और अवधि:

लागू नहीं।

ई. अधिकतम अवधि खसेबी (एसबीईबी और एसई) विनियमों के विनियम 18(1) और 24(1) के अधीन, जैसा भी मामला हो] जिसके भीतर विकल्प/एसएआरएस/लाभ निहित होंगे:

लागू नहीं।

एफ. प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, खरीद मूल्य या मूल्य निर्धारण सूत्र:

योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले शेयरों का प्रस्ताव मूल्य/ खरीद मूल्य ऐसे नियमों और शर्तों पर होगा जैसा कि पेशकश के समय 'श्मुआवजा समिति' द्वारा तय किया जा सकता है।

जी. प्रयोग की अवधि/प्रस्ताव की अवधि और प्रयोग की प्रक्रिया/ प्रस्ताव की स्वीकृति:

जिस अवधि के दौरान 'श्मुआवजा समिति' के निर्णय के अनुसार जारीकरण खुला रहता है, वह प्रयोग अवधि होगी। प्रयोग की प्रक्रिया/स्वीकृति की प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारियों

sense of belongingness and ownership amongst the employees and to reward them for their contribution while also aligning their interests with the long term goals of the Bank.

A. Brief Description of the Scheme:

The Bank proposes to offer upto 15 (Fifteen) crore new equity shares of face value of ₹2/- each of the Bank to the Employees [as defined under Regulation 2(1)(i) of SEBI (SBEB & SE) Regulations] under PNB ESPS, subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, with appropriate premium to be decided by the 'Nomination and Remuneration Committee of the Board' designated as the 'Compensation Committee' at the time of making the offer, in such a way that the Government of India holding does not reduce below 52.00%.

B. The total number of options, SARs, shares or benefits, as the case may be, to be offered and granted:

Up to 15,00,00,000 (Fifteen crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Employees [as defined under Regulation 2(1)(i) of SEBI (SBEB & SE) Regulations] under the PNB ESPS.

C. Identification of Classes of Employees entitled to participate and be beneficiaries in the PNB ESPS:

The eligible employees for participation in the Scheme shall be identified as per the criteria to be decided by the 'Compensation Committee'.

D. Requirements of vesting and period of vesting:

Not Applicable.

E. Maximum period [subject to regulation 18(1) and 24(1) of the SEBI (SBEB & SE) Regulations, as the case may be] within which the options/SARS/benefits shall be vested:


Not Applicable.

F. Exercise Price, SAR Price, Purchase Price or Pricing Formula:

The Offer Price/Purchase Price of the shares to be allotted under the Scheme shall be on such terms and conditions as may be decided by the 'Compensation Committee', at the time of the Offer.

G. Exercise Period/ Offer Period and Process of Exercise/ Acceptance of Offer:

The period during which the issue remains open as per decision of the 'Compensation Committee' shall be the Exercise Period. The process of exercise/acceptance of Offer would, inter-alia, include the offer made to



को दिया गया प्रस्ताव, आवेदन की प्राप्ति और सदस्यता राशि और योजना के अनुसार शेयरों का आवंटन शामिल होगा।

एच. योजना के लिए कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया:

योग्य कर्मचारी, मुआवजा समिति द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, पेशकश की तिथि के अनुसार, लागू नियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने के हकदार होंगे।

आई.विकल्प, एसएआरएस, शेयरों की अधिकतम संख्या, जैसा भी मामला हो, प्रति कर्मचारी और कुल मिलाकर, यदि कोई हो, की पेशकश की जा सकती है और जारी की जा सकती है:

योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रति कर्मचारी नए इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या मुआवजा समिति द्वारा तय की जाएगी। बैंक कुल मिलाकर अधिकतम 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है।

जे. योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी प्रदान किए जाने वाले लाभों की अधिकतम मात्रा:

योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को जारी किए गए इक्विटी शेयरों के अलावा जैसा कि ऊपर पैरा (I) में बताया गया है, कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

के. क्या योजना को सीधे बैंक द्वारा या ट्रस्ट के माध्यम से कार्यान्वित और प्रशासित किया जाना है:

प्रस्तावित योजना को सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित और प्रशासित किया जाएगा।

एल. क्या इस योजना में बैंक द्वारा शेयर जारी करना या ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अर्जन या दोनों शामिल हैं:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक सीधे कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करेगा।

एम. बैंक द्वारा न्यास को योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोगिता, चुकौती की शर्तें, आदि:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक के नए इक्विटी शेयर सीधे कर्मचारियों को जारी करने का प्रस्ताव है और इस तरह, ट्रस्ट का गठन या ट्रस्ट को ऋण प्रदान करना लागू नहीं है।

एन. द्वितीयक अर्जन का अधिकतम प्रतिशत (विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन) जो योजना के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है:

लागू नहीं।

ओ. इस आशय का एक वक्तव्य कि बैंक सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियमों के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगा:

बैंक सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियम, 2021 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगा।

the Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

H. The appraisal process for determining the eligibility of Employees for the Scheme:

Eligible Employees, as per the criteria approved by the Compensation Committee, as on the date of offering, will be entitled to participate, subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

I. Maximum Number of Options, SARS, Shares, as the case may be, to be offered and issued per Employee and in aggregate, if any:

The maximum number of new equity shares per employee proposed to be issued under the Scheme shall be decided by the Compensation Committee. The Bank proposes to issue maximum of 15,00,00,000 (Fifteen crore) new equity shares in aggregate.

J. Maximum quantum of benefits to be provided per employee under the Scheme:

Other than equity shares issued to the Employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

K. Whether the Scheme is to be implemented and administered directly by the Bank or through a Trust:

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. Whether the Scheme involves new issue of shares by the Bank or secondary acquisition by the Trust or both:

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Employees.

M. The amount of loan to be provided for implementation of the scheme by the Bank to the Trust, its tenure, utilization, repayment terms, etc.:

Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N. Maximum percentage of secondary acquisition (subject to limits specified under the regulations) that can be made by the Trust for the purposes of the Scheme:

Not Applicable.

O. A Statement to the effect that the Bank shall conform to the Accounting Policies specified in Regulation 15 of SEBI (SBEB & SE) Regulations:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (SBEB & SE) Regulations, 2021.



पी. बैंक अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्यांकन के लिए जिस पद्धति का उपयोग करेगा:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है और इस प्रकार, विकल्प या एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं होता है।

क्यू. निम्नलिखित कथन, यदि लागू हो:

यदि बैंक आंतरिक मूल्य का उपयोग करते हुए शेयर आधारित कर्मचारी लाभों के व्यय का विकल्प चुनता है, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के बीच का अंतर, जिसे उचित मूल्य का उपयोग करने पर मान्यता दी जाएगी, निदेशकों के समक्ष प्रकट किया जाएगा। रिपोर्ट और बैंक के मुनाफे और प्रति शेयर आय ("ईपीएस") पर इस अंतर का प्रभाव भी निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

यदि लागू हो तो बैंक उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

आर. लॉक-इन की अवधि:

वर्तमान ईएसपीएस के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर सेबी (एसबीईवी और एसई) विनियमों के अनुसार आवंटन की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन रहेंगे।

अनुलग्नक

लाभांश पर टीडीएस की कटौती पर निर्देश

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को शेयरधारकों को उक्त लाभांश का भुगतान करते समय अधिनियम की धारा 194 या अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा जमा किए गए और बैंक द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर भिन्न होगी। इसके अलावा, टीडीएस की उच्च दर लागू होगी यदि अधिनियम की धारा 206एए के अनुसार वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) शेयरधारक द्वारा प्रदान नहीं किया गया या अधिनियम की धारा 206एबी के अनुसार एक निर्दिष्ट व्यक्ति है।

एक निर्दिष्ट व्यक्ति वह है जिसने पिछले एक वर्ष से आयकर रिटर्न दाखिल करने का अनुपालन नहीं किया है और पिछले एक वर्ष में टीडीएस/टीसीएस ₹ 50,000 या अधिक का रहा है। भारत में स्थायी स्थापना जिसपर नहीं रखने वाले अनिवासी को एक निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाता है।

तदनुसार, बैंक द्वारा अंतिम लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा, जैसा कि यहां स्पष्ट किया गया है।

ए. निवासी शेयरधारक

1. निवासी शेयरधारकों के लिए, लाभांश की राशि पर 10% टीडीएस लागू होगा। यदि वैध पैन प्रदान नहीं किया गया है या शेयरधारक एक निर्दिष्ट व्यक्ति है, तो टीडीएस लाभांश की राशि पर 20% लागू

P. The method which the Bank shall use to value its options or SARs:

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q. The following statement, if applicable:

In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

R. Period of Lock-in:

The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB & SE) Regulations.

Annexure

Instructions on Deduction of Tax at Source on Dividend

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) under section 194 of the Act or section 195 of the Act at the prescribed rates at the time of making the payment of the said dividend to shareholders. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Bank. Further, higher rate of TDS would be applicable if pursuant to section 206AA of the Act valid permanent account number (PAN) has not been provided by shareholder or pursuant to section 206AB of the Act, shareholder being a specified person.*

*A specified person is one who has not complied with filing of income tax returns for last one year and is having TDS and/or Tax Collection at Source (TCS) of ₹50,000 or more in last one year. A non-resident not having permanent establishment in India is not considered as a specified person.

Accordingly, the final dividend will be paid by the Bank after deducting tax at source, as applicable, as explained herein.

A. Resident Shareholders

1. For Resident Shareholders, TDS will be applicable at 10% on the amount of dividend. In case, valid PAN is not provided or shareholder is a specified person, then the TDS will be applicable at 20% of the amount of dividend. Accordingly, shareholders who have not provided their



होगा। तदनुसार, जिन शेयरधारकों ने अपना पैना प्रदान नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) (भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) या डिपॉजिटरी भागीदार (इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) को तत्काल प्रदान करें।

देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा यदि नीचे दी गई दो शर्तों में से कोई एक पूरी की जाती है:

- एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक को देय कुल लाभांश ₹5,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
 - शेयरधारक ने वैध पैना के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म 15G (कंपनी या फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लागू) / फॉर्म 15H (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू) प्रदान किया है और बशर्ते कि वह सभी आवश्यक पात्रता शर्तें पूर्ण करता हो।
2. निम्नलिखित कर निवासी शेयरधारक बैंक की संतुष्टि के अधीन नीचे उल्लिखित दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराने पर टीडीएस की शून्यधकम दर के लिए पात्र होना होगा:

क्र. सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज
ए)	बीमा कंपनियां	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> • घोषणापत्र कि यह अधिनियम की धारा 194 के प्रावधान के अंतर्गत निर्दिष्ट एक बीमा कंपनी है • आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण के प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति • पैना कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
बी)	सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित विशिष्ट निगम जिनकी आय कर से मुक्त है, और अधिनियम की धारा 10 (23डी) के अंतर्गत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> • घोषणापत्र कि यह जारी परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 196 (iii) के अंतर्गत आता है। • प्रासंगिक पंजीकरण दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति • पैना कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति

PAN are requested to provide the same to the Bank or its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., (in respect of shares held in physical form) or to the Depository Participant (in respect of shares held in electronic form), immediately.

No tax shall be deducted on the dividend payable if either of the below two conditions are fulfilled:

- Total dividend payable to a resident individual shareholder does not exceed ₹5,000 per year OR
 - The shareholder has provided duly filled and signed Form 15G (applicable to any Person other than a company or a Firm)/ Form 15H (applicable to an Individual above the age of 60 years) with valid PAN and provided that all the required eligibility conditions are met.
2. The following Tax Resident Shareholders should be eligible for Nil/Lower Rate of TDS upon providing the documents to the Bank mentioned hereunder to the satisfaction of the Bank:

Sr. No.	Particulars	Applicable Rate of TDS	Documents Required
a)	Insurance Companies	Nil	<ul style="list-style-type: none"> • Declaration that it is an Insurance Company as specified under Proviso to section 194 of the Act • Self-attested copy of certificate of registration with IRDAI • Self-attested copy of PAN card
b)	Government, Reserve Bank of India (RBI), Specified Corporations established by or under Central Act whose income is exempt from tax, and Mutual Funds specified under section 10(23D) of the Act	Nil	<ul style="list-style-type: none"> • Declaration that it is covered by section 196(iii) of the Act read with the Circulars issued thereunder • Self-attested copy of relevant registration documents • Self-attested copy of PAN card

क्र. सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज
सी)	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत श्रेणी - I और II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> घोषणापत्र कि इसकी आय अधिनियम की धारा 10 (23FBA) के अंतर्गत छूट प्राप्त है और वे श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में सेबी के नियमों द्वारा शासित हैं सेबी एआईएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
डी)	शेयरधारकों को अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में टीडीएस प्रावधानों से छूट दी गई है	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> घोषणापत्र कि सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के अंतर्गत आता हो अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में छूट की स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
ई)	सभी निवासी शेयरधारक आयकर विभाग द्वारा जारी न्यून कटौती प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर		<ul style="list-style-type: none"> अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति

बी. अनिवासी शेयरधारक

1. अनिवासी संस्थागत शेयरधारकों के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफआईआई/एफपीआई) होने के नाते, टीडीएस अधिनियम की धारा 196डी के अंतर्गत 20% पर या किसी भी लागू दोहरा कर बचाव समझौता (कर संधि) में दिए गए दर के अनुसार, नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर, जो भी कम हो, देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।
2. अन्य अनिवासी शेयरधारकों के लिए, टीडीएस अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार लागू दरों पर जो वर्तमान में 20% है या नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर किसी भी लागू

Sr. No.	Particulars	Applicable Rate of TDS	Documents Required
c)	Category - I & II Alternative Investment Funds (AIF) registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI)	Nil	<ul style="list-style-type: none"> Declaration that their income is exempt under section 10 (23 FBA) of the Act and they are governed by SEBI regulations as Category I or Category II AIF Self-attested copy of SEBI AIF registration certificate Self-attested copy of the PAN card
d)	Shareholders exempted from TDS provisions in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification	Nil	<ul style="list-style-type: none"> Declaration that it is covered by CBDT circular or Notification Documentary evidence supporting the exemption status in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification Self-attested copy of PAN card
e)	All resident shareholders	Rate specified in the low deduction certificate issued by the income tax department	<ul style="list-style-type: none"> Self-attested copy of certificate under section 197 of the Act

B. Non-Resident Shareholders

1. For Non-resident institutional shareholders being Foreign Institutional Investors/ Foreign Portfolio Investor (FII/FPI), TDS will be applicable under section 196D of the Act, at 20% or as per the rate in any applicable Double Tax Avoidance Agreement (tax treaty) on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.
2. For other Non-resident shareholders, TDS will be applicable in accordance with the provisions of section 195 of the Act, at the rates in force which is currently



कर संधि में दिए दर के अनुसार, जो भी कम हो, देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।

- अनिवासी शेयरधारक जिनके पास भारत में स्थायी स्थापना है और एक निर्दिष्ट व्यक्ति है, उन पर लागू टीडीएस की दर से दोगुना के लिए उत्तरदायी होगा।
- यदि अधिनियम की धारा 197/195 के अंतर्गत अनिवासी शेयरधारकों द्वारा करों की कम/शून्य रोक के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, तो उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर पर उसी की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 90(2) के अनुसार, अनिवासी शेयरधारकों (एडीआर के लिए डिपॉजिटरी के अलावा) के पास भारत और उनके कर निवास वाले देशों के बीच कर संधि का लाभ उठाने का विकल्प है, जिसके लिए ऐसे अनिवासी शेयरधारक को बैंक की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

- भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आवंटित पैन की स्व-सत्यापित प्रति यदि पैन आवंटित नहीं किया गया है, तो कृपया स्व-घोषणा प्रस्तुत करें।
- जिस देश का शेयरधारक निवासी है, उसके कर प्राधिकरण से प्राप्त टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (टीआरसी) (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए) की स्व-सत्यापित प्रति। यदि टीआरसी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उक्त टीआरसी का ऐसी अन्य भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना होगा और उसके बाद टीआरसी की विधिवत नोटरीकृत और प्रमाणित (एपोस्टील) प्रति प्रदान करनी होगी।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10एफ में स्व-घोषणा यदि इस फॉर्म में आवश्यक सभी विवरण टीआरसी में उल्लिखित नहीं हैं।
- अनिवासी शेयरधारक द्वारा स्व-घोषणा के रूप में:
 - शेयरधारक की कर आवासीय स्थिति के आधार पर कर संधि लाभों का दावा करने की पात्रताय
 - प्रासंगिक वर्ष के दौरान किसी भी समय शेयरधारक के पास लागू कर संधि के अनुसार भारत में स्थायी स्थापनाधिनश्चित आधार नहीं थाय
 - शेयरधारक इक्विटी शेयरों पर प्राप्त होने वाली लाभांश आय का लाभकारी स्वामी है।

कृपया ध्यान दें कि अनिवासी शेयरधारकों के मामले में कर संधि लाभों का दावा करने के लिए या/और अधिनियम की धारा 206AB के अनुसार अधिक टीडीएस से बचने के लिए कोई स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व की स्व-घोषणा शेयरधारक के लेटरहेड पर होनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी अधिक जानकारी के लिए कॉल करने और/या टीडीएस के लिए डोमेस्टिक कानून/कर संधि लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सामान्य निर्देश:

- उपरोक्त सभी संदर्भित टीडीएस दरों में जहां भी लागू हो, लागू अधिभार और उपकर द्वारा विधिवत वृद्धि की जाएगी। हालांकि, यदि डीटीएए के अनुसार टीडीएस दर लागू होती है, तो कोई अधिभार या उपकर नहीं लगाया जाता है।

20% or as per the rate in any applicable tax treaty on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.

- The non-resident shareholders who has a permanent establishment in India and is a specified person would be liable for twice the rate of TDS as applicable to them.
- If certificate under section 197/195 of the Act is obtained by non-resident shareholders for lower/Nil withholding of taxes, rate specified in the said certificate shall be considered based on submission of self-attested copy of the same.

Pursuant to section 90(2) of the Act, non-resident shareholders (other than Depository for ADRs) have the option to avail the benefit of tax treaty between India and the countries of their tax residence for which such non-resident shareholders will have to provide the following documents, to the satisfaction of the Bank:

- Self-attested copy of the PAN allotted by the Indian Income Tax Authorities; If the PAN is not allotted, please submit self-declaration.
- Self-attested copy of Tax Residency Certificate (TRC) (for FY 2022-23) obtained from the tax authorities of the country of which the shareholder is resident. In case, the TRC is furnished in a language other than English, the said TRC would have to be translated from such other language to English language and thereafter duly notarized and apostilled copy of the TRC would have to be provided.
- Self-declaration in Form 10F for FY 2022-23 if all the details required in this Form are not mentioned in the TRC.
- Self-declaration by the non-resident shareholder as to:
 - Eligibility to claim tax treaty benefits based on the tax residential status of the shareholder;
 - The shareholder did not at any time during the relevant year have permanent establishment/ fixed base in India in accordance with the applicable tax treaty;
 - Shareholder being the beneficial owner of the dividend income to be received on the equity shares.

Please note that in case of non-resident shareholders Self Declaration of No Permanent Establishment and Beneficial ownership should be on the letterhead of the shareholder for claiming tax treaty benefits or/and to avoiding higher TDS as per section 206AB of the Act.

Please note that the Bank in its sole and absolute discretion reserves the right to call for any further information and/or to apply domestic law/tax treaty for TDS.

General Instructions:

- All the above referred TDS rates shall be duly enhanced by applicable surcharge and cess, wherever applicable. However, if the TDS rate as per DTAA is applied, no surcharge or cess is leviable.



2. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, पैन, पता, बैंक खाता विवरण, ईमेल पते और मोबाइल नंबर अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना विवरण बैंक या बैंक के एसटीए को प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, बैंक डिपॉजिटरी/बैंक के एसटीए के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार रिकॉर्ड तिथि अर्थात् 23 जून, 2023 को उपर्युक्त जानकारी पर निर्भर करेगा।
3. फॉर्म/घोषणापत्र वेबसाइट www.pnbindia.co.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। बैंक को उचित कर दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जिस पर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लागू होने वाले दस्तावेज दिनांक 23.06.2023 या उससे पहले hosd@pnb.co.in / beetalrta@gmail.com पर प्रदान/प्रस्तुत करें।
4. लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा जैसा कि संबंधित शेयरधारकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा है और अधिनियम के अनुसार पूर्ण और संतोषजनक पाया जायेगा। बैंक शेयरधारक को टीडीएस प्रमाणपत्र भेजने की व्यवस्था करेगा।
5. उक्त लाभांश के संबंध में कर निर्धारण/कटौती पर कोई संचार उपर्युक्त तिथि और समय के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में उक्त लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, तब भी शेयरधारक के पास आय की विवरणी दाखिल करने और उचित धन वापसी दावा करने का एक विकल्प उपलब्ध होगा, यदि पात्र हो। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि ऐसे कर की कटौती के लिए बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।
6. इस संबंध में सभी संचार/प्रश्न बैंक/बैंक के एसटीए hosd@pnb.co.in/beetalrta@beetalrtafinancial.com पर भेजे जाने चाहिए।
7. शेयरधारक(यों) द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली जानकारी की किसी भी गलत बअर्थात्, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही, बैंक को सभी जानकारी/दस्तावेज और किसी भी कार्रवाई में सहयोग प्रदान करेंगे।
8. इस संचार को बैंक की सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा। शेयरधारकों को अपने कर मामलों से संबंधित कर सलाह कर पेशेवर से प्राप्त करनी चाहिए।
9. बैंक आयकर अनुपालन निश्चित करके आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्षमता या सुविधा से सत्यापित जानकारी पर भरोसा करेगा, जिसके लिए अधिनियम की धारा 206AB के अंतर्गत टीडीएस की उच्च दर लागू होगी।
2. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to update their records such as tax residential status, PAN, address, bank account details, email addresses and mobile numbers with their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their details to the Bank or Bank's STA.

Please note that for the purpose of complying with the applicable TDS provisions, the Bank will rely on the above-mentioned information as on record date i.e. 23rd June, 2023 as per the details available with the Depositories/Bank's STA.
3. The Forms/Declarations can be downloaded from the website: www.pnbindia.co.in. In order to enable the Bank to determine the appropriate tax rate at which tax has to be deducted at source under the respective provisions of the Act, Shareholders are requested to provide/submit the documents as applicable to them on or before 23.06.2023 at beetalrta@gmail.com/hosd@pnb.co.in
4. The dividend will be paid after deduction of tax at source as determined on the basis of the documents provided by the respective shareholders as applicable to them and being found to be complete and satisfactory in accordance with the Act. The Bank shall arrange to dispatch the TDS certificate to the shareholder.
5. No communication on the tax determination/ deduction in respect of the said dividend shall be entertained post the above mentioned date and time. It may be further noted that in case the tax on said dividend is deducted at a higher rate in absence of receipt of the aforementioned details/documents, there would still be an option available with the Shareholder to file the return of income and claim an appropriate refund, if eligible. Further, it may kindly be noted that no claim shall lie against the Bank for such taxes deducted.
6. All communications/queries in this respect should be sent to the Bank/Bank's STA at beetalrta@gmail.com/hosd@pnb.co.in
7. In the event of any income tax demand (including interest, penalty, etc.) arising from any misrepresentation, inaccuracy or omission of information provided/to be provided by the Shareholder(s), such Shareholder(s) will be responsible to indemnify the Bank and also, provide the Bank with all information/documents and co-operation in any proceedings.
8. This communication shall not be treated as an advice from the Bank. Shareholders should obtain tax advice related to their tax matters from a tax professional.
9. The Bank will be relying on the information verified from the functionality or facility available on the Income Tax website for ascertaining the income tax compliance for whom higher rate of TDS shall be applicable under section 206AB of the Act.

